

प्राक्कथन

राज्य सरकार, अपने अनेक विभागों व परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों के जीवन स्तर में यथा सम्भव सुधार लाने हेतु प्रयासरत् है। इस श्रृंखला में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, उत्तराखण्ड सरकार व अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) की एक महत्वपूर्ण पहल है। 'एकीकृत आजीविका' का संचालन राज्य के 11 पर्वतीय जनपदों के 44 विकासखण्डों में किया जा रहा है।

'एकीकृत आजीविका' द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में विभिन्न कृषि उत्पादों संबंधी गतिविधियों अथवा अन्य लघु उद्योग पर केन्द्रित 'उत्पादक समूहों' का गठन किया गया है। उत्पादक समूहों के सदस्यों को एक वृहद मंच उपलब्ध कराने हेतु कलस्टर स्तर पर आजीविका संगठनों/फ़ैडरेशनों के रूप में संगठित किया जा रहा है। वर्तमान में 107 आजीविका संगठन/फ़ैडरेशनों व लगभग 4000 उत्पादक समूह के माध्यम से काश्तकारों के साथ अनेकों-अनेक आजीविका संवर्धन की गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

राज्य सरकार के अन्य विभागों व परियोजनाओं के माध्यम से मिल रही सुविधाओं का लाभ भी काश्तकारों को यथा समय पर मिलता रहे, 'एकीकृत आजीविका' द्वारा इसका पूर्ण प्रयास किया जाता रहा है। ताकि वे अपनी आजीविका संवर्धन के सभी विकल्पों के बारे में जागरूक रहें व मिल रही सभी सुविधाओं को पूर्ण दोहन कर सकें। इस हेतु 'एकीकृत आजीविका' द्वारा जनवरी 2015 में 'ज्ञान दिग्दर्शिका' नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गयी थी। इस पुस्तिका की ग्राम स्तर 'एकीकृत आजीविका' के लाभार्थियों, समस्त हितभागियों व अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा काफी सराहना की गयी है। पुस्तिका की स्वीकारिता व उपयोगिता को देखते हुए द्वितीय संस्करण कुछ अधिक जानकारियों के साथ पुनः प्रकाशित किया जा रहा है।

'एकीकृत आजीविका' के प्रभागीय प्रबन्धन ईकाई व तकनीकी संस्थाओं के अधिकारी व ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं से मैं यह आशा करता हूँ कि आप उत्पादक समूहों व आजीविका संगठनों के सदस्यगणों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व परियोजनाओं द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियों व सुविधाओं के प्रति जागरूक करेंगे। आपके इस प्रयास में इस पुस्तिका का प्रथम संस्करण एक महत्वपूर्ण टूल साबित हुआ है उसी प्रकार यह द्वितीय संस्करण भी आपके इस प्रयास में सहायक सिद्ध होगा।

उत्पादक समूहों व आजीविका संगठनों के सदस्यगणों से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने-अपने स्तर पर पुस्तिका में उपलब्ध जानकारियों का लाभ उठायेंगे व 'एकीकृत आजीविका' द्वारा आपकी आजीविका संवर्धन हेतु जो प्रयास किये जा रहे हैं उन्हें सफल बनाने में सहयोग करेंगे।

धन्यवाद।

विजय कुमार
मुख्य परियोजना निदेशक
एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना

विषय वस्तु

क्र.	विभाग का नाम	योजना का नाम	पृष्ठ संख्या
1	कृषि विभाग	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1
		वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1
		ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट	1
		सॉइल (Soil) स्वायल हैल्थ मैनेजमेंट	1
		मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	1
		सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (NMAET) एवं जनपद स्तर पर एग्रीकल्चर टैक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आतमा	2
		सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मॅटिरियल (बीज ग्राम योजना)	2
		सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना	2
		राष्ट्रीय विकास योजना	3
		जैविक मंडुवा प्रोत्साहन कार्यक्रम	3
		कृषि यंत्रों पर अनुदान	3
		राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम योजना (NCIP) मॉडीफाइड राष्ट्रिय कृषि बीमा योजना- कार्यक्षेत्र एवं आच्छादित फसलें	3
2	जैविक कृषि प्रोत्साहन हेतु संचालित कार्य		5
3	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बागवानी मिशन (HMNEH) की योजनाएं	पौधशाला की स्थापना	6
		सब्जी एवं मसाला बीज उत्पादन	6
		नये उद्यानों की स्थापना	6
		पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार	7
		जल प्रबन्धन व्यवस्था	7
		संरक्षित खेती	7
		जैविक खेती	8
		औद्योगिक यन्त्रीकरण	9
तकनीकी प्रसार हेतु प्रदर्शन	9		

		मानव संसाधन विकास	9
		तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन	10
		विपणन	11
		खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य वृद्धि प्रबंधन	11
		राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन के अन्तर्गत प्रक्षेत्र पर जल प्रबन्धन योजना	11
		राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (NMFP)	12
4	पशुपालन	उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद	
		राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन परियोजना	14
		चारा विकास कार्यक्रम	14
		पशुधन बीमा योजना	14
5	डेरी विकास विभाग	दुग्ध समितियों का गठन	16
		तकनीकी निवेश कार्यक्रम	16
		दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकास	16
		प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम	16
		स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु सहायता	16
		दुग्ध गुणवत्ता नियंत्रण एवं जागरूकता कार्यक्रम	17
		डेरी विकास योजना	17
		गंगा गाय महिला डेरी योजना	17
		दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना	17
		महिला डेरी विकास योजना	17
6	मत्स्य पालन	शीतजल मत्स्यकी विकास योजना	19
		अनसूचित जाति/जनजाति उपयोजना	19
		पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना	19
		पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना	19
7	जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान	निशुल्क बीज पौध	21
		अनुदान व्यवस्था	21
		कृषक पंजीकरण एवं रवन्ना	21
		कृषिकरण हेतु तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण	21
		उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करना	21

		कृषिकरण हेतु चयनित प्रजातियाँ	21
		प्रयोगशाला की सुविधा	21
8	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	छात्रवृत्ति योजना	23
		कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना	23
		व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना	24
		विकास के कार्यों में योगदान	24
9	ग्राम्य विकास विभाग	विधायक/सांसद निधि	26
		वी0आर0जी0एफ0 / वी0ए0डी0पी0	26
		महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना एक्ट (मनरेगा)	26
		इन्दिरा आवास योजना	26
10	समाज कल्याण विभाग	पेंशन योजना	27
		राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	27
		अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कन्याओं की शादी हेतु अनुदान	27
		अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की बीमारी के इलाज हेतु अनुदान	27
		निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान	27
		विधवा पुनर्विवाह अनुदान	28
		अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक विवाह योजना	28
		गौरा देवी कन्याधन योजना	28
		अटल आवास योजना	28
		छात्रवृत्ति- अनु0जाति/अनु0जनजाति	28
		पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति	28
		सामान्य जाति की महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति	29
		विकलांग कल्याण की अन्य योजनायें	29
11	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	स्वतः रोजगार	31
		शहरी क्षेत्र में दुकान निर्माण	31
		जनश्री बीमा योजना	31
		राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम	32
		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	32
		कौशल वृद्धि योजना	32

		जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	32
12	उरेडा (वैकल्पिक ऊर्जा)	सोलर स्ट्रीट लाईट	33
		बायोगैस निर्माण	33
		सोलर वॉटर हीटर	33
		डिश टाईप सोलर कुकर	33
		घराटों का उच्चीकरण	33
13	पर्यटन विभाग	वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना	34
		हुनुर से रोजगार तक	34
14	नाबार्ड की योजनाएं	किसान क्रेडिट कार्ड योजना	35
		स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड	35
		जनरल क्रेडिट कार्ड	35
		आर्टिजन क्रेडिट कार्ड	35
		कृषक क्लब कार्यक्रम	36
		केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित भेड़, बकरी, खरगोशों के समन्वित विकास की योजनाएं	36
15	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	व्यक्तिगत ब्याज उत्पादन योजना	38
		प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	38
		उत्तराखण्ड ऊन योजना	38
16	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास परिषद	इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ स्मॉल रूमिनेन्ट्स एण्ड रेबिट्स (IDSRR) योजना	40
		अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना	40
		भेड़ एवं ऊन सुधार योजना	40
		एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)	40
उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति (Uttarakhand Skill Development Society)			42
राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)			62
उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद			64

कृषि विभाग द्वारा कृषकों को दी जानी वाली सुविधायें	
योजना का विवरण	अनुमान्य सुविधाएं / अनुदान
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) योजना	<ol style="list-style-type: none"> चयनित क्षेत्रों में धान, गेहूँ, मोटे अनाज (मक्का एवं छोटे धान्य) एवं दलहनी फसलों की नवीनतम प्रजातियों के क्लस्टर प्रदर्शनों का आयोजन। धान एवं गेहूँ की अधिक उपजदायी प्रजाति के बीजों के क्रय पर ₹ 1000 प्रति कुन्तल की राजकीय सहायता। मोटे अनाज (मक्का एवं छोटे धान्य) फसलों में ₹ 1,500 प्रति कुन्तल की राजकीय सहायता। दलहनी फसलों में ₹ 2,500 प्रति कुन्तल की राजकीय सहायता। संकर धान एवं संकर मक्का बीजों के क्रय पर ₹ 5,000 प्रति कुंतल या कुल मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो की राजकीय सहायता। सूक्ष्म तत्वों, कृषि रक्षा रसायनों एवं जैव रसायनों के क्रय पर, मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 500 प्रति हैक्टेयर तथा जिप्सम वितरण में ₹750 प्रति हैक्टेयर की राजकीय सहायता।
2. नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्री कल्चर (NMSA) योजना	
वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	इस योजना के अन्तर्गत उद्यान, पशुधन, डेयरी, मत्स्य, सिल्वीपास्टोरल एवं क्रॉपिंग सिस्टम आधारित फार्मिंग सिस्टम के साथ पालीहाउस/ग्रीनहाउस निर्माण, मधुमक्खी पालन, साइलेज इकाई निर्माण, पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज, वॉटरहार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज, वाटर हार्वेस्ट टैंक, कम्युनिटी टैंक्स, रिचार्ज वैल, वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस, गली कन्ट्रोल स्ट्रक्चर, ट्यूब वैल, वॉटर एप्लीकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन, स्थानिक जल संरक्षण, वैजीटेटिव बैरियर, कन्टूर टैरेसिंग, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण इकाईयाँ एवं कृषक प्रशिक्षण आदि पर भारत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अथवा निर्धारित मानक सीमा के अन्तर्गत अनुदान देय है। सामुदायिक कार्यों जैसे-गली कंट्रोल, स्पिल वे, सामुदायिक टैंक, साइलेज यूनिट पर 100 प्रतिशत अथवा मानक सीमा के अन्तर्गत अनुदान देय है।
ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट	इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को पोर्टेबल स्पिंकलर सैट, टपक सिंचाई यंत्र अनुदान पर वितरित किये जाने का प्रावधान है।
सॉइल (Soil) स्वायल हैल्थ मैनेजमेंट	यह सुविधा प्रत्येक जनपद में उपलब्ध है, जिसके अन्तर्गत मुख्य पोषक तत्वों, सूक्ष्म एवं द्वितीय पोषक तत्वों का परीक्षण करने की व्यवस्था है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	भारत सरकार द्वारा उचित मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन तथा उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक कृषक को तीन वर्षों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है।

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी (NMAET) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम			
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (NMAET) एवं जनपद स्तर पर एग्रीकल्चर टैक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आतमा	इसके अन्तर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम आदि रेखीय विभागों के समन्वित प्रयास सम्मिलित है, देय सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है—		
	कार्यक्रम	कार्यक्रम के घटक	राज्य सहायता के मानक
	कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम	अन्तर्राज्यीय / राज्यांतर्गत / जिलांतर्गत	क्रमशः ₹1250 / ₹1000 / एवं ₹400 प्रति कृषक प्रतिदिन
	प्रदर्शन	कृषि, उद्यान, पशुपालन, रेशम, मत्स्य आदि	₹ 400 प्रति एकड़
	कृषक अध्ययन भ्रमण	अन्तर्राज्यीय / राज्यांतर्गत / जिलांतर्गत	क्रमशः ₹ 800 / ₹ 400 / एवं ₹ 300 प्रति कृषक प्रतिदिन
	कृषक समूह क्षमता विकास	प्रति समूह प्रतिवर्ष	₹ 5000 प्रति समूह
	कृषक समूह सीड मनी	प्रति समूह एक बार	₹ 10,000 प्रति समूह
	फूड सिक्योरिटी हेतु	प्रति समूह एक बार	₹ 10,000 प्रति समूह
	सर्वश्रेष्ठ कृषक समूह पुरस्कार	प्रति समूह प्रतिवर्ष	₹ 20,000 प्रति समूह
	किसान पुरस्कार	राज्य स्तर / जनपद स्तर / ब्लॉक स्तर पर	क्रमशः ₹ 50,000 / ₹ 25,000 / एवं ₹ 10,000 प्रति कृषक
	फार्म स्कूल	प्रति विकासखण्ड	₹ 29414 प्रति फार्म स्कूल
सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मॅटिरियल (बीज ग्राम योजना)	चयनित ग्रामों में एक एकड़ के लिये बीजोत्पादन हेतु धान्य फसलों के बीजों पर 50 प्रतिशत तथा दलहन / तिलहन फसलों के बीजों पर 60 प्रतिशत अनुदान। बीज भंडारण के लिये अनुदान पर बुखारियों का वितरण।		
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना	प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनों के द्वारा प्रचार एवं सुदृढीकरण। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी एवं प्रबन्धन के लिए प्रदर्शन प्रशिक्षण एवं वितरण कृषि यंत्रों / मशीनों / उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय सहायता कस्टम हाइरिंग के लिए फार्म मशीनरी बैंकों तथा उच्च गुणवत्त एवं नवीन तकनीकों वाले केन्द्रों की स्थापना यंत्रिकरण के प्रसार हेतु इ-कस्टम हाइरिंग केन्द्रों से लिये गये उपकरणों पर लाभार्थियों को प्रति है. की दर से आर्थिक सहायता		

<p>राष्ट्रीय विकास योजना</p>	<p>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल, गेहूँ कार्यक्रम से अनाच्छादित जनपदों में क्लस्टर प्रदर्शन तथा बीजों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, कृषि रक्षा रसायनों पर राजकीय सहायता।</p> <p>गढ़वाल मण्डल के विभिन्न जनपदों में सिंचाई के साथ-साथ मत्स्य पालन, मुर्गी पालन एवं पॉलीहाउस की स्थापना आदि हेतु एकीकृत बहुउद्देशीय जल सम्भरण टैंकों का निर्माण।</p> <p>मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत पौड़ी जनपद के श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र के 300 गाँवों का जैविक कृषि से संतृप्तीकरण तथा प्रमोशन ऑफ आर्गेनिक फार्मिंग एवं सॉयूल हेल्थ मैनेजमेंट योजनान्तर्गत जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु जैविक खाद संरचनाओं जैसे-वर्मी कल्चर सेंटर आदि का निर्माण, जैव उर्वरकों एवं जैव कृषि रक्षा रसायनों का वितरण 50 प्रतिशत अनुदान पर, निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण।</p> <p>दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।</p> <p>कृषि क्षेत्र एवं फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु प्रोटैक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैण्ड एण्ड क्राप फ्राम वाइल्ड एनीमल्स के अन्तर्गत घेरबाड़/घेराबंदी का प्राविधान।</p> <p>जनपद टिहरी एवं हरिद्वार में गेहूँ, मक्का एवं मंडुवा फसल के न्यूट्रीरिच प्रजातियों के सामूहिक प्रदर्शनों का आयोजन।</p> <p>प्रमोशन ऑफ मैकेनाइजेशन के अन्तर्गत अनुदान पर कृषि यंत्रों का वितरण।</p>	
<p>जैविक मंडुवा प्रोत्साहन कार्यक्रम</p>	<p>माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ में संचालित जैविक मंडुवा उत्पादन कार्यक्रम के कृषक प्रशिक्षण, कम्पोस्ट संरचनाओं के निर्माण पर 50 प्रतिशत अनुदान तथा मंडुवा थ्रेशर पर 75 प्रतिशत या अनुमन्य सीमा जो भी कम हो की राजकीय सहायता।</p>	
<p>कृषि यंत्रों पर अनुदान</p>	<p>पर्वतीय क्षेत्रों के पांच आपदाग्रस्त जनपदों में 90 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्र के अन्य जनपदों में 80 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिसमें भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में 50 प्रतिशत अथवा अनुमन्य सीमा की अनुदान धनराशि के अतिरिक्त शेष अनुदान की धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जा रही है।</p>	
<p>राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम योजना (NCIP) मॉडीफाइड राष्ट्रिय कृषि बीमा योजना— कार्यक्षेत्र एवं आच्छादित फसलें</p>	<p>दैवीय आपदा से होने वाली क्षति की दशा में किसानों को अधिसूचित खरीफ (चावल मंडुवा आदि) एवं रबी की फसलों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है।</p> <p>खरीफ एवं रबी की फसलों एवं बीमा करने वाली एजेंसियों का चयन फसल के समय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।</p>	<p>अनिवार्य आधार पर— ऋणी किसानों (जिन्होंने फसल हेतु किसी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त किया हो) का अनिवार्य रूप से फसल बीमा बैंक के माध्यम से बीमा कम्पनियों द्वारा किया जाता है।</p> <p>स्वैच्छिक आधार पर— ऐसे किसान जिन्होंने फसल उत्पादन हेतु किसी वित्तीय संस्थान से ऋण न लिया हो, वे सीधे बीमा कम्पनियों से फसल बीमा करा सकते हैं।</p>

बीमा प्रीमियम पर किसानों को प्रीमियम स्लैब अनुसार राजकीय सहायता प्रदान की जाती है।		
प्रीमियम दर स्लैब	कृषक हेतु सब्सिडी	टिप्पणी
2% तक	प्रीमियम दर पर 40% छूट (कृषक द्वारा देय प्रीमियम कम से कम 2% होगा)	सूखा/अत्यधिक वर्षा के कारण बुवाई न हो पाने की स्थिति में बीमा की गई फसल का 25% (बीमा की गई धनराशि) तक की क्षतिपूर्ति तत्काल देय होगी
2% से 5% तक	प्रीमियम दर पर 40% छूट (कृषक द्वारा देय प्रीमियम कम से कम 2% होगा)	
5% से 10% तक	प्रीमियम दर पर 50% छूट (कृषक द्वारा देय प्रीमियम कम से कम 3% होगा)	
10% से 15% तक	प्रीमियम दर पर 60% छूट (कृषक द्वारा देय प्रीमियम कम से कम 5% होगा)	
15% से अधिक	प्रीमियम दर पर 70% छूट (कृषक द्वारा देय प्रीमियम कम से कम 6% होगा)	

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं—

अधिकारी	सम्पर्क नं०
संयुक्त निदेशक कृषि गढ़वाल मंडल	01368-222549
मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून	0135-2727368
मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी	01368-221964
मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	01378-227501
मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली	01372-253912
मुख्य कृषि अधिकारी, रूद्रप्रयाग	01364-233260
मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी	01374-224681

अधिकारी	सम्पर्क नं०
कृषि निदेशक	0135-2772677
संयुक्त निदेशक कृषि (जैविक)	0135-2772676
राज्य समन्वयक— आतमा	0135-2772496
संयुक्त निदेशक कृषि कुमाऊं मंडल	05946-245009
मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा	05962-230424
मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर	05963-220464
मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़	05964-225104

प्रदेश में जैविक कृषि को प्रोत्साहन	
जैविक कृषि प्रोत्साहन हेतु संचालित कार्य	<ol style="list-style-type: none">1. नवीन जैव आगतों के प्रदर्शन, तकनीकों का प्रचार, प्रशिक्षण।2. निःशुल्क प्रमाणीकरण की व्यवस्था।3. जैविक उत्पादों का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु क्रेता-विक्रेता बैठक, मेले आदि में कृषकों को प्रतिभाग कराना।4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत विकासखण्ड देवाल, जखोली, ऊखीमठ तथा सल्ट का पूर्णतः जैविक संतृप्तीकरण।5. कृषकों/प्रसार कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, मजखाली, अल्मोड़ा में जैविक प्रशिक्षण की सुविधा।

उक्त हेतु सम्पर्क सूत्र है—

उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, 201, वसंत विहार, फेज-1,

देहरादून, फोन नं.— 0135-2760770

ईमेल- uocb@organicuttarakhand.org, uocb_dehradun@yahoo.co.uk

वेबसाईट- www.organicuttarakhand.org

योजना / कार्यक्रम	उद्देश्य	अनुमान्य सुविधाएं / अनुदान
बागवानी मिशन (HMNEH) की योजनाएं		
1. पौधशाला की स्थापना	हाईटैक पौधशाला (2 से 4 हैक्टे0 क्षेत्रफल)	₹ 25 लाख प्रति हैक्टे0 (राजकीय हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत हेतु 40 प्रतिशत) ऋण आधारित पौधशाला की स्थापना बैंक एडेड / सहायतित सब्सिडी अधिकतम ₹ 100 लाख प्रति लाभार्थी
	छोटी पौधशाला (1 हैक्टे0 क्षेत्रफल) की स्थापना	₹ 15 लाख प्रति हैक्टे0 (राजकीय हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत हेतु 50 प्रतिशत) ऋण आधारित बैंक एडेड / सहायतित सब्सिडी अधिकतम ₹ 15 लाख प्रति लाभार्थी
2. सब्जी एवं मसाला बीज उत्पादन	ओपन पॉलीनेटेड फसल	₹ 35 हजार प्रति हैक्टे0 (राजकीय हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत हेतु 50 प्रतिशत) अधिकतम 5 हैक्टे0 प्रति लाभार्थी
	हाईब्रिड बीज	₹ 1.5 लाख प्रति हैक्टे0 (राजकीय हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत हेतु 50 प्रतिशत) अधिकतम 5 हैक्टे0 प्रति लाभार्थी
3. नये उद्यानों की स्थापना		
फल क्षेत्रफल विस्तार (सामान्य)	इन्टीग्रेटेड (ड्रिप सहित)	₹ 1 लाख प्रति हैक्टे0 का 50 प्रतिशत (राजकीय सहायता 3 वर्षों तक) अधिकतम 4 हैक्टे0 लाख प्रति लाभार्थी
	नॉन इन्टीग्रेटेड	₹ 60 हजार प्रति हैक्टे0 का 50 प्रतिशत (राजकीय सहायता 3 वर्षों तक) अधिकतम 4 हैक्टे0 प्रति लाभार्थी
फल क्षेत्रफल विस्तार (सघन)	इन्टीग्रेटेड (ड्रिप सहित)	₹ 1.5 लाख प्रति हैक्टे0 का 50 प्रतिशत (राजकीय सहायता 3 वर्षों में 60:20:20 की दर से देय) अधिकतम 4 हैक्टे0 प्रति लाभार्थी
	नॉन इन्टीग्रेटेड	₹ 1 लाख प्रति हैक्टे0 का 50 प्रतिशत (राजकीय सहायता 3 वर्षों में 60:20:20 की दर से देय) अधिकतम 4 हैक्टे0 प्रति लाभार्थी
सब्जी क्षेत्रफल विस्तार	संकर प्रजाति की सब्जी की खेती	₹ 50 हजार प्रति हैक्टे0 का 50 प्रतिशत (अधिकतम 2 हैक्टे0 प्रति लाभार्थी)
मसाला क्षेत्र विस्तार	बीज एवं कंद वाले मसाला की खेती	₹ 30 हजार प्रति हैक्टे0 का 50 प्रतिशत (अधिकतम 4 हैक्टे0 प्रति लाभार्थी)

	पुष्प क्षेत्र विस्तार	खुले	₹40 हजार प्रति हैक्टे० का 50 प्रतिशत (अधिकतम 2 हैक्टे० प्रति लाभार्थी)
		डंडी युक्त	₹ 1 लाख प्रति हैक्टे० का 50 प्रतिशत (अधिकतम 2 हैक्टे० प्रति लाभार्थी)
		बल्ब युक्त	₹1.5 लाख प्रति हैक्टे० का 50 प्रतिशत (अधिकतम 2 हैक्टे० प्रति लाभार्थी)
	मशरूम उत्पादन	उत्पादन यूनिट	कुल लागत ₹ 20 लाख (राजकीय हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत हेतु 40 प्रतिशत)
		कम्पोस्ट यूनिट	कुल लागत ₹ 20 लाख (राजकीय हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत हेतु 40 प्रतिशत)
		स्पॉन यूनिट	कुल लागत ₹15 लाख (राजकीय हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत हेतु 40 प्रतिशत)
4.	पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार	पुराने उद्यानों की जीर्णोद्धार की योजना	₹ 40 हजार प्रति हैक्टे० का 50 प्रतिशत (अधिकतम 2 हैक्टे० प्रति लाभार्थी)
5.	जल प्रबन्धन व्यवस्था		
	ट्यूबवेल स्थापना / पॉण्ड निर्माण	नये ट्यूबवेल की स्थापना 20x20x3 मी० आकार के पौण्ड का निर्माण	₹ 1.80 लाख प्रति इकाई का 50 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एवं ₹ 1.50 लाख प्रति इकाई का 50 प्रतिशत मैदानी क्षेत्रों के लिए (अधिकतम 1 नग प्रति लाभार्थी)
	कम्प्यूनिटी टैंक / ऑन फार्म पॉण्ड निर्माण	सामुदायिक रूप से 10 हैक्टे० नियंत्रित की सिंचाई के आकार 100mx100mx3m टैंक / पॉण्ड	₹ 25 करोड़ प्रति इकाई का 100 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एवं ₹ 20 करोड़ प्रति इकाई का 100 प्रतिशत मैदानी क्षेत्रों के लिए (अधिकतम 1 नग प्रति लाभार्थी)
6.	संरक्षित खेती		
	ग्रीन हाउस निर्माण	विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती हेतु फेन एंड पैड सिस्टम पालीहाउस	कुल लागत का 50 प्रतिशत 500 वर्गमीटर तक— कुल लागत ₹1650 प्रति वर्ग मीटर 500 से 1008 वर्गमीटर तक— कुल लागत ₹ 1565 प्रति वर्ग मीटर 1008 से 2080 वर्गमीटर तक— कुल लागत ₹ 1420 प्रति वर्ग मीटर 2080 से 4000 वर्गमीटर तक— कुल लागत ₹ 1400 प्रति वर्ग मीटर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त (अधिकतम 4000 वर्गमीटर प्रति लाभार्थी)
		विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती हेतु ट्यूबलर स्ट्रक्चर पॉलीहाउस	कुल लागत का 50 प्रतिशत 500 वर्गमीटर तक— कुल लागत ₹ 1060 प्रति वर्ग मीटर 500 से 1008 वर्गमीटर तक— कुल लागत ₹ 935 प्रति वर्ग मीटर

		1008 से 2080 वर्गमीटर तक— कुल लागत ₹ 890 प्रति वर्ग मीटर 2080 से 4000 वर्गमीटर तक— कुल लागत ₹ 844 प्रति वर्ग मीटर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त (अधिकतम 4000 वर्गमीटर प्रति लाभार्थी)
शैडनॉट हाउस	ट्यूबुलर स्ट्रक्चर	कुल लागत का 50 प्रतिशत
		₹ 710 प्रति वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त (अधिकतम 4000 वर्गमीटर प्रति लाभार्थी)
	लकड़ी का ढांचा	कुल लागत का 50 प्रतिशत ₹ 492 प्रति वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त (अधिकतम 4000 वर्गमीटर प्रति लाभार्थी)
	बांस का ढांचा	कुल लागत का 50 प्रतिशत ₹ 360 प्रति वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त (अधिकतम 4000 वर्गमीटर प्रति लाभार्थी)
प्लास्टिक टनल		₹ 60 प्रति वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त (अधिकतम 1000 वर्गमीटर प्रति लाभार्थी)
प्लास्टिक मल्विंग	नमी को रोकने एवं प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देने हेतु जमीन को प्लास्टिक शीट से ढकना	₹ 32 हजार प्रति हैक्टे0 का 50 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त (अधिकतम 2 हैक्टे0 प्रति लाभार्थी)
एन्टी हेल नेट	फलों एवं सब्जी फसलों को ओलों से सुरक्षा देने हेतु	₹ 35 प्रति वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत (अधिकतम 5000 वर्गमीटर प्रति लाभार्थी)
संरक्षित खेती के लिए रोपण की व्यवस्था सब्जी पौध / पुष्प	सब्जी पौध पुष्प (आर्किड, एन्थोरियम) पुष्प (कारनेशन, जरबेरा) पुष्प (गुलाब)	₹ 35 प्रति वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत (अधिकतम 5000 वर्गमीटर प्रति लाभार्थी) ₹ 700 प्रति वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत (अधिकतम 5000 वर्गमीटर प्रति लाभार्थी) ₹ 610 प्रति वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत (अधिकतम 5000 वर्गमीटर प्रति लाभार्थी) ₹ 426 प्रति वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत (अधिकतम 5000 वर्गमीटर प्रति लाभार्थी)
7. जैविक खेती		
जैविक खेती को अपनाना	विभिन्न फसलों की जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु	₹ 20 हजार प्रति हैक्टे0 का 60 प्रतिशत (तीन वर्षों में क्रमशः प्रतिशत ₹ 4 हजार, ₹ 3 हजार एवं ₹ 3 हजार की दर से) (अधिकतम 4 है0 प्रति लाभार्थी)

	जैविक खेती प्रमाणीकरण	₹ 5 लाख प्रति 50 हैक्टे0 कलस्टर (तीन वर्षों में क्रमश प्रतिशत ₹ 1.5 लाख, ₹1.5 लाख एवं 2 लाख की दर से)
	वर्मी कम्पोस्ट यूनिट का निर्माण	30x8x2.5 फीट आकार के वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना ₹ 1.5 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 यूनिट प्रति लाभार्थी)
	एच0 डी0 पी0 ई0 वर्मीबैड	96 Cft (12'x 4'x 2') आकार के एच.डी.पी.ई. वर्मीबैड की स्थापना ₹ 16 हजार प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 यूनिट प्रति लाभार्थी)
8.	औद्यानिक यन्त्रीकरण	ट्रैक्टर (20 पी.टी.ओ. एच.पी. तक) ₹ 3 लाख प्रति इकाई का 35 प्रतिशत अनु0जाति, अनु0जनजाति, लघु एवं सीमांत तथा महिलाओं हेतु तथा 25 प्रतिशत सामान्य लाभार्थियों हेतु (अधिकतम 1 यूनिट प्रति लाभार्थी)
	पॉवर टिलर (8बी0एच0पी0 तक)	₹ 1 लाख प्रति इकाई का 50 प्रतिशत अनु0जाति, अनु0जनजाति, लघु एवं सीमांत व महिलाओं हेतु तथा 40 प्रतिशत सामान्य लाभार्थियों हेतु (अधिकतम 1 यूनिट प्रति लाभार्थी)
	पॉवर टिलर (8बी.एच.पी. से अधिक)	₹ 1.5 लाख प्रति इकाई का 50 प्रतिशत अनु0जाति, अनु0जनजाति, लघु एवं सीमांत तथा महिलाओं हेतु तथा 40 प्रतिशत सामान्य लाभार्थियों हेतु (अधिकतम 1 यूनिट प्रति लाभार्थी)
	ट्रैक्टर / पॉवर टिलर (20बी. एच.पी. तक) भूमि सुधारीकरण, जुताई व बीजाई हेतु क्यारी तैयारी हेतु आवश्यक उपकरण एवं बुआई, कटाई व खुदाई हेतु उपकरण	₹ 30 हजार प्रति इकाई का 50 प्रतिशत अनु0जाति, अनु0जनजाति, लघु एवं सीमांत तथा महिलाओं हेतु तथा 40 प्रतिशत सामान्य लाभार्थियों हेतु (अधिकतम 1 यूनिट प्रति लाभार्थी)
	औद्यानिकी हेतु स्वचालित मशीन	₹ 2.5 लाख प्रति इकाई का 50 प्रतिशत अनु0जाति, अनु0जनजाति, लघु एवं सीमांत तथा महिलाओं हेतु तथा 40 प्रतिशत सामान्य लाभार्थियों हेतु (अधिकतम 1 यूनिट प्रति लाभार्थी)
9.	तकनीकी प्रसार हेतु प्रदर्शन	₹ 25 लाख (राजकीय प्रक्षेत्रों हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत हेतु 75 प्रतिशत)
10.	मानव संसाधन विकास	
	प्रशिक्षण	नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु कृषक / महिलाओं का राज्य के अन्दर व बाहर प्रशिक्षण राज्य के बाहर प्रस्ताव के अनुसार भ्रमण राज्य के अन्दर ₹1000 / दिन / प्रशिक्षार्थी (यात्रा देयक सहित) नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु कृषक / महिलाओं का राज्य के बाहर भ्रमण प्रस्ताव के अनुसार

11. तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन	पैक हाउस (9 मी0 व 6 मी0)	कुल ₹4 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात लाख प्रति लाभार्थी
	प्री कूलिंग इकाई (6 मीट्रिक टन क्षमता)	कुल लागत ₹25 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एडेड सब्सिडी)
	मोबाईल प्री कूलिंग इकाई (5 मी0 टन क्षमता)	कुल लागत ₹ 25 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एडेड सब्सिडी)
	कोल्ड रूम (30 मीट्रिक टन क्षमता)	कुल लागत ₹15 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एडेड सब्सिडी)
	कोल्ड स्टोरेज यूनिट ● बेसिक टाईप-सिंगल टैम्परेचर जोन (5000 मी0 टन तक) ● मल्टीपल टैम्परेचर जोन (5000 मी0 टन तक) ● कन्ट्रोल्ड एटमासफेयर स्टोरेज (5000 मी0 टन तक)	(ऋण आधारित बैंक एन्डेड सब्सिडी) ● कुल लागत ₹ 8 हजार प्रति मी0 टन का 50 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु ● कुल लागत ₹10 हजार प्रति मी0 टन का 50 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु ● कुल लागत ₹20 हजार प्रति मी0 टन का 50 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु
	रेफरवेन / कन्टेनर (6 मी0 टन तक)	कुल लागत ₹ 26 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एडेड सब्सिडी)
	प्राइमरी / मोबाईल प्रोसेगिंग यूनिट	कुल लागत ₹ 25 लाख प्रति यूनिट का 55 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 40 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एडेड सब्सिडी)
	राईपनिंग चैम्बर (300 मी0 टन तक)	कुल लागत ₹1 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एडेड सब्सिडी)
	ईवोपोरेटिव / लो एनर्जी कूल चैम्बर कम लागत वाली संरक्षण (प्रिजरवेशन) इकाई की स्थापना	कुल लागत ₹ 5 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात ₹ 2 लाख प्रति लाभार्थी कुल लागत ₹ 2 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात ₹ 1 लाख प्रति लाभार्थी
कम लागत वाली प्याज स्टोरेज सट्रक्चर (25 मी0 टन)	कुल लागत ₹1.75 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात ₹ 0.875 लाख प्रति लाभार्थी	
इन्टीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स	कुल लागत ₹ 600 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एडेड सब्सिडी)	

12.	विपणन	टर्मिनल मार्केट (परियोजना आधारित)	₹150 करोड़ प्रति यूनिट का 25 से 40 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 50 करोड़)
		होलसेल मार्केट	₹100 करोड़ प्रति यूनिट का 33% प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 25 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एडेड सब्सिडी)
		अपनी मंडी / रूरल मार्केट की स्थापना	₹25 लाख प्रति यूनिट का 55 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 40 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एडेड सब्सिडी)
		रिटेल मार्केट / आउटलेट	₹15 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एडेड सब्सिडी)
		स्टेटिक मोबाईल वेडिंग कार्ड / प्लेटफार्म (कूल चैम्बर सहित)	₹30 हजार प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात ₹15 हजार प्रति लाभार्थी
		फक्शनल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर कलैक्शन, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग आदि	₹15 लाख प्रति यूनिट का 55 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 40 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)
		फक्शनल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक सैक्टर के लिए	
		क्वालिटी कंट्रोल / एनॉलिसिस लैब	₹ 200 लाख प्रति यूनिट का 100 प्रतिशत अर्थात ₹ 200 लाख प्रति लाभार्थी प्राइवेट सैक्टर के लिए 200 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात ₹ 100 लाख प्रति लाभार्थी (ऋण आधारित बैंक एडेड सब्सिडी)
		रोपवे (ग्रेविटी बेस्ड)	₹ 15 लाख प्रति किमी० का 50 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)
13.	खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य वृद्धि प्रबंधन	नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई	₹ 800 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात ₹ 400 लाख प्रति लाभार्थी (ऋण आधारित बैंक एडेड सब्सिडी)
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अन्तर्गत प्रक्षेत्र पर जल प्रबन्धन योजना			
1.	टपक (ड्रिप) सिंचाई	बागवानी एवं कृषि में गुणवत्तायुक्त फसल उत्पादन	सामान्य कृषकों हेतु 45 अधिकतम 5 हैक्टे० प्रति लाभार्थी लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु 60 अधिकतम 5 हैक्टे० प्रति लाभार्थी
2.	माईक्रो सिप्रंकलर		सामान्य कृषकों हेतु 45 अधिकतम 5 हैक्टे० प्रति लाभार्थी लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु 60 अधिकतम 5 हैक्टे० प्रति लाभार्थी
3.	मिनी सिप्रंकलर		सामान्य कृषकों हेतु 45 अधिकतम 5 हैक्टे० प्रति लाभार्थी

		लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु 60 अधिकतम 5 हैक्टे0 प्रति लाभार्थी
राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (NMFP)		
1.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापना / प्रौद्योगिकी उन्नयन / आधुनिकीकरण / विस्तार स्कीम	मशीन उपकरण तथा टेक्निकल सिविल वर्क की लागत का 33.33 प्रतिशत प्रति लाभार्थी, अधिकतम ₹ 75 लाख।
2.	गैर बागवानी उपजों के लिए सहायक शीत श्रृंखला सुविधा स्कीम तथा रेफर वाहन	मशीन उपकरण तथा टेक्निकल सिविल वर्क की लागत का 50 प्रतिशत प्रति लाभार्थी, अधिकतम ₹ 5 करोड़ / इन्ट्रैस्ट सब्सिडी 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से 7 वर्षों के लिए अधिकतम ₹ 3 करोड़।
3.	पशुवधशाला	मशीन उपकरण तथा टेक्निकल सिविल वर्क की लागत का 75 प्रतिशत प्रति लाभार्थी, अधिकतम ₹ 15 करोड़ या इन्ट्रैस्ट सब्सिडी 7 प्रतिशत वार्षिक दर से 7 वर्षों के लिए अधिकतम ₹ 3 करोड़।
4.	मानव संसाधन विकास योजना खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाने के लिए इच्छुक संस्था	

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं—

अधिकारी	सम्पर्क नं०
जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून	0135-2711530
जिला उद्यान अधिकारी, पौड़ी	01368-222524
जिला उद्यान अधिकारी, टिहरी	01376-232156
जिला उद्यान अधिकारी, चमोली	01372-253635
जिला उद्यान अधिकारी, रुद्रप्रयाग	01364-233416
जिला उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी	01374-222143
प्रसार अधिकारी (मशरूम), देहरादून	0135-2665421
उपनिदेशक, गढ़वाल मंडल, पौड़ी	01368-222227

अधिकारी	सम्पर्क नं०
अपर निदेशक नैनीताल	05942-236204, 9411543185
जिला उद्यान अधिकारी, अल्मोड़ा	05962-230085
जिला उद्यान अधिकारी, बागेश्वर	05963-221336
जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़	05964-225275
मौन विशेषज्ञ ज्योलीकोट	05942-224113
उपनिदेशक, कुमाऊं मंडल, नैनीताल	05942-221288
निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत	05966-222792
निदेशक, बागवानी मिशन, देहरादून	0135-2759796

योजना / कार्यक्रम	उद्देश्य	अनुमान्य सुविधाएं / अनुदान
उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद		
1 राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन परियोजना	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण (पैरावेट) ए0आई0 केन्द्र की स्थापना हेतु प्रशिक्षित पैरावेट को ए0आई0 किट उपलब्ध कराना कृत्रिम गर्भधान सुविधा फील्ड परफॉरमेन्स रिकॉर्डिंग कार्यक्रम (उन्नत दुधारु पशुओं की पहचान करके उनके एक बयांत के दूध की रिकॉर्डिंग रजिस्टर में अंकित किया जाना	₹ 10000.00 प्रति प्रशिक्षार्थी ₹ 30000.00 प्रति ए0आई0 किट हेतु ₹ 50.00 प्रति कृत्रिम गर्भाधान शुल्क ₹ 10.00 प्रति दुहान रजिस्टर में अंकित होने वाले गाय/भैंस के पशुपालक को ₹ 950.00 का पशुआहार आदि के रूप में अनुदान
2 चारा विकास कार्यक्रम	कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक (14 किग्रा0 एवं 12 किग्रा0 प्रति भेली) का वितरण यूरिया-शीरा-खनिज चाटन भेली (2.5 किग्रा0 प्रति भेली) का वितरण चारा मिनीकिट का वितरण बहुवर्षीय चारा घासों के रूट स्टॉक का वितरण	₹ 130.00 एवं ₹ 80.00 प्रति ब्लॉक भुगतान पर ₹ 30.00 प्रति चाटन भेली भुगतान पर पशुचिकित्सालयों, पशुऔषाधालयों एवं दुग्ध समितियों के माध्यम से निःशुल्क वितरण चारा नर्सरियों के माध्यम से पशुपालकों को निःशुल्क वितरण
3 पशुधन बीमा योजना	पशुधन (गाय एवं भैंस) बीमा योजना आच्छादित लाभार्थी समूह चयन प्रक्रिया बीमा दरें बीमा अवधि प्रीमियम भुगतान प्रक्रिया	नैनीताल, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली एवं देहरादून जनपदों में पशुपालक के दो उन्नत दुधारु पशु, जिनका दुग्ध उत्पादन 1500 ली0 प्रति ब्यात से अधिक हो स्वस्थ दुधारु गाय-2 से 10 वर्ष आयु की, स्वस्थ दुधारु भैंस-3 से 12 वर्ष आयु की 1 वर्ष हेतु बीमित धनराशि का ₹ 4.00 प्रतिशत, 3 वर्ष हेतु धनराशि का ₹ 10.50 प्रतिशत अधिकतम 3 वर्ष हेतु बीमा प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत अंश पशुपालक द्वारा तथा शेष अंश भारत सरकार द्वारा देय

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं—

अधिकारी	सम्पर्क नं०
अपर निदेशक, पौड़ी	01368—222480, 8937000925
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून	0135—2712572, 9412055957
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पौड़ी	01368—223084, 9412418507
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, टिहरी	01378—227501, 9412038233
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, चमोली	01372—252273, 8937003184
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग	01364—233251, 9412017255
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी	01374—222320, 9719473770

अधिकारी	सम्पर्क नं०
अपर निदेशक नैनीताल	05942—236204, 9411543185
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा	05962—232289, 9412034597
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर	05963—221475, 8006399205
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़	05964—225319, 9837061566

योजना का विवरण	उद्देश्य	अनुमान्य सुविधाएं / अनुदान
जिला योजना के अन्तर्गत दुग्ध समितियों हेतु		
1 दुग्ध समितियों का गठन	उचित दर पर दुग्ध क्रय किया जाता है	दुग्ध जांच संयंत्र एवं रसायन, फर्नीचर एवं कंटिंजेंसी, दुग्ध कैन, प्रबन्धकीय अनुदान, प्राथमिक पशु चिकित्सा पेटिका एवं दवाएं, कार्यशील पूंजी तथा प्रशिक्षण हेतु प्रथम वर्ष ₹ 36,700, द्वितीय वर्ष ₹12,000 एवं तृतीय वर्ष में ₹5,300 की सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
2 तकनीकी निवेश कार्यक्रम	दुग्ध समिति के सदस्यों हेतु	दुग्ध समिति सदस्यों से नाम मात्र का पर्यवेक्षण शुल्क वसूल कर उन्हें निशुल्क पशु औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।
2.1 सन्तुलित पशुआहार	दुग्ध समिति के सदस्यों हेतु	पर्वतीय क्षेत्रों के दुग्ध समिति के सदस्यों को ₹ 4.00 प्रति किग्रा0 तथा मैदानी क्षेत्रों में गठित दुग्ध समिति के सदस्यों को ₹ 2.00 प्रति किग्रा0 की दर से उपलब्ध कराया जाता है।
2.2 कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक	दुग्ध समिति के सदस्यों हेतु	पर्वतीय क्षेत्रों के दुग्ध समितियों के सदस्यों को ₹3.00 प्रति किग्रा0 तथा मैदानी क्षेत्रों में गठित दुग्ध समिति के सदस्यों को ₹1.00 प्रति किग्रा0 की दर से उपलब्ध कराया जाता है।
2.3 हैडलोड अनुदान	दुग्ध समिति के सदस्यों हेतु	दुग्ध समिति को रोड हैड तक दूध पहुंचाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 50 पैसा प्रति लीटर तथा मैदानी क्षेत्रों में 25 पैसा प्रति लीटर की दर हैडलोड अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
3 दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकास	दुग्ध समिति के सदस्यों हेतु दुग्ध कक्ष निर्माण	पर्वतीय क्षेत्रों की दुग्ध समितियों को दुग्ध कक्ष निर्माण हेतु ₹ 5.15 एवं मैदानी क्षेत्रों की दुग्ध समितियों को ₹ 4.65 /- लाख का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
	दुग्ध समिति सदस्यों हेतु भूसा गोदाम निर्माण	पर्वतीय क्षेत्रों की दुग्ध समितियों को भूसा गोदाम का निर्माण हेतु ₹ 5.65 /- लाख तथा मैदानी क्षेत्रों की दुग्ध समितियों को ₹ 5.15 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
4 प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम		समिति भवन में वॉल पेंटिंग, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पशुचिकित्सा एवं पशु प्रदर्शनी कैम्पों का आयोजन विभाग द्वारा किया जाता है।
5 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु सहायता	पशुशाला (1 पशु व 1 बछड़ा हेतु 60 वर्ग फीट),	₹ 12 हजार प्रति पशुशाला विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
	पशुनाद पशुहित चरी / चारे की व्यवस्था	₹ 04 हजार प्रति पशुनाद विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ₹ 2500 प्रति विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

6	दुग्ध गुणवत्ता नियंत्रण एवं जागरूकता कार्यक्रम	दुग्ध समितियों के लिए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम, मिल्क टेस्टिंग प्रोत्साहन, सचिव प्रोत्साहन कार्यक्रम, विभाग द्वारा आयोजित किये जाते हैं।
	जिला योजना के अन्तर्गत	
1	डेरी विकास योजना	दुग्ध संघ स्तर पर मानव संसाधन हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। दुग्ध समितियों से दुग्ध संग्रह कर दुग्धशाला तक लाने हेतु परिवहन व्यय विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
	प्रबंधकीय अनुदान यातायात योजना	
	अवस्थापना सुविधायें	दुग्ध संघों के सिविल कार्य व प्लांट मशीनरीज मदों के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराये जाते हैं।
2	गंगा गाय महिला डेरी योजना	
3	दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना	दुग्ध उत्पादकों को 8.00 प्रतिशत एस0एन0एफ0 अथवा इससे अधिक की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹ 4.00 प्रति ली0 तथा 7.50 से 7.99 प्रतिशत एस0एन0एफ0 की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹ 3.00 प्रति ली0 प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है
4	महिला डेरी विकास योजना	
	केन्द्रपोषित योजनाएं	दुग्ध संघों हेतु दुग्ध संघों को अवस्थापना सुविधाएं, रिवॉल्विंग फंड तथा दुग्ध समिति स्तर पर विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशील पूंजी, नई समितियों के गठन हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं—

अधिकारी	सम्पर्क नं०
निदेशक डेरी विकास	05946-252052, 9411534400
उपनिदेशक डेरी विकास, हल्द्वानी	05946-252052, 9412369661
उपनिदेशक डेरी विकास, देहरादून	0135-2787359, 9412959864
दुग्ध संघ	
प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ, अल्मोड़ा	05962-233026, 9690013138
प्रबन्धक, दुग्ध संघ, पिथौरागढ़	05964-226016, 9690013139
प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ, देहरादून	0135-2787955, 8958249665
प्रबन्धक, दुग्ध संघ, उत्तरकाशी	01374-235256, 9412077110
प्रबन्धक, दुग्ध संघ, टिहरी	01376-232042, 9927005428

अधिकारी	सम्पर्क नं०
डेरी विकास विभाग	
सहायक निदेशक, पिथौरागढ़	05964-225329, 9412040405
सहायक निदेशक, रूद्रप्रयाग	01364-233497, 9456557608
सहायक निदेशक, देहरादून	0135-2787359, 9412139740
सहायक निदेशक, उत्तरकाशी	01374-222396, 9808768520
सहायक निदेशक, अल्मोड़ा	05962-233565, 7579232020
सहायक निदेशक, टिहरी	01376-232071, 9758137596
सहायक निदेशक, चमोली	01372-252285, 9410505801
सहायक निदेशक, पौड़ी	01368-222490, 9456557608
सहायक निदेशक, बागेश्वर	05963-220053, 9411522495

योजना / कार्यक्रम	उद्देश्य	अनुमान्य सुविधाएं / अनुदान
1 शीतजल मत्स्यकी विकास योजना	पर्वतीय जनपदों में मत्स्यकी के विकास हेतु रनिंग वाटर तालाबों का निर्माण	1. कुल लागत ₹60,000 प्रति 0.01 हैक्टेयर (यूनिट) पर 20 प्रतिशत अनुदान ₹ 12,000 देय। 2. प्रति लाभार्थी अधिकतम तीन यूनिट देय
2 अनसूचित जाति / जनजाति उपयोजना	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मत्स्य पालन एवं संबंधित कार्यों में स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना।	1. कुल लागत ₹ 60,000 प्रति 0.01 हैक्टेयर (यूनिट) पर 70 प्रतिशत अनुदान ₹42,000 प्रति 0.01 हैक्टेयर (यूनिट) देय।
3 पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना	प्रदेश में आदर्श मत्स्य तालाबों का निर्माण एवं तदनुसार आदर्श मत्स्य पालकों का चिन्हीकरण।	0.02 हैक्टेयर / 200 वर्ग मी0 (20x10x1-5 मी0 / 01 यूनिट) क्षेत्रफल के पक्के तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश की कुल लागत ₹3,00,000 = के सापेक्ष 20% धनरशि ₹ 1,50,000 का अनुदान देय। प्रति लाभार्थी अधिकतम तीन यूनिट देय।
4 पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना	पर्वतीय जनपदों में जिन व्यक्तियों के पास छोटे-छोटे क्षेत्रफल की भूमि उपलब्ध हो, उनको मत्स्य पालन से जोड़ना।	0.005 हैक्टेयर / 50 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश की कुल लागत ₹ 50,000/- = के सापेक्ष 50% धनरशि ₹25,000 = का अनुदान देय। प्रति लाभार्थी अधिकतम तीन यूनिट देय।

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं—

अधिकारी	सम्पर्क नं०
सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, रायपुर, देहरादून	9411131888
जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन, पौड़ी	01368-223662
जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन, टिहरी	8126981281
सहायक निदेशक, विकास भवन, चमोली	01372-252721
जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन, रुद्रप्रयाग	9411168229
सहायक निदेशक, विकास भवन, उत्तरकाशी	01374-226433

अधिकारी	सम्पर्क नं०
सहायक निदेशक, विकास भवन, अल्मोड़ा	05962-211019
जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन, बागेश्वर	9411316333
जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन, पिथौरागढ़	9719071921

योजना / कार्यक्रम	अनुमान्य सुविधाएं / अनुदान
1 निशुल्क बीज पौध	5 नाली खेती के लिए पौध अथवा बीज निःशुल्क उपलब्ध
2 अनुदान व्यवस्था	कृषकों द्वारा स्वयं की लागत से चयनित 26 महत्वपूर्ण प्रजातियों के कृषिकरण हेतु लागत का 50 प्रतिशत अनुदान।
3 कृषक पंजीकरण एवं रवन्ना	पंजीकृत किसानों को जड़ी-बूटी एवं सगन्ध पादप उत्पादों की निकासी भेषज विकास इकाई के माध्यम से प्रदान करना।
4 कृषिकरण हेतु तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण	विकासखण्ड स्तर पर जड़ी-बूटी विकास कार्यों के संचालन व प्रचार-प्रसार हेतु मास्टर ट्रेनरों की तैनाती / नियुक्ति।
5 उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करना	पंजीकृत एवं प्रगतिशील कृषकों को स्थानीय / राष्ट्रीय मेलों / स्टॉलों में प्रतिभाग करवाकर उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करना।
6 कृषिकरण हेतु चयनित प्रजातियाँ	अतीस, कुटकी, कूठ, जटामांसी, चिरायता, बनककड़ी, फरण / जम्बू, कालाजीरा, पाइरेथ्रम, तगर, मंजीठ, बड़ी इलायची, पत्थर चूर, रोजमेरी, जिरेनियम, सर्पगन्धा, कलिहारी, सतावर, लेमनग्रास, केमोमाइल, सिजीबमा, स्टीविया, पिपली, ब्रह्मी, अमीमेजस, तिलपुष्पी, गुलाब, मिनट उक्त प्रजातियों के कृषिकरण पर 50 प्रतिशत अनुदान देय है।
7 प्रयोगशाला की सुविधा	कृषकों को अपने जड़ी-बूटी उत्पादों का परीक्षण कराने की सुविधा

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं—

अधिकारी	सम्पर्क नं०
निदेशक अतिरिक्त प्रभारी / मुख्यविकास अधिकारी चमोली	01372-254273
डॉ. वी.पी. भट्ट, वैज्ञानिक	09412082003
डॉ. सी.पी. कुनियाल, वैज्ञानिक	
डॉ० डी.एस. बिष्ट, वैज्ञानिक	0912059390
जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन, रुद्रप्रयाग	9411168229
सहायक निदेशक, विकास भवन, उत्तरकाशी	01374-226433

अधिकारी	सम्पर्क नं०
सहायक निदेशक, विकास भवन, अल्मोड़ा	05962-211019
जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन, बागेश्वर	9411316333
जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन, पिथौरागढ़	9719071921

वर्तमान में प्रदेश में 25 मण्डियां विनियमित हैं। वर्तमान में कार्यशील 20 मण्डी समितियों का वर्ग / श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है—

क्र.सं.	मण्डी का नाम	सं.	वर्ग / श्रेणी
1	हल्द्वानी, रूद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज, किच्छा, गदरपुर एवं देहरादून	7	क विशिष्ट
2	खटीमा, जसपुर, रुड़की, ऋषिकेश एवं हरिद्वार यूनियन	5	क
3	रामनगर, बाजपुर, टनकपुर, विकासनगर एवं मंगलौर	5	ख
4	चकराता, लक्सर, कोटद्वार, टिहरी गढ़वाल, चमोली एवं उत्तरकाशी	6	ग

योजना / कार्यक्रम	उद्देश्य	अनुमान्य सुविधाएं / अनुदान			
1 छात्रवृत्ति योजना	कृषकों व कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों के मेधावी छात्रों को निम्नानुसार छात्रवृत्ति दी जाती है—				
	चयनित कृषि विश्वविद्यालय	अध्ययरत छात्र	छात्र संख्या	छात्रवृत्ति की धनराशि (प्रतिमाह / प्रति छात्र)	
	कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर	स्नातक एवं स्नातकोत्तर	46	1500.00	
	कृषि महाविद्यालय नारसन	स्नातक एवं स्नातकोत्तर	16	1500.00	
	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक महाविद्यालय, भरसार	स्नातक	05	1500.00	
	पर्वतीय कृषि एवं वानिकी महाविद्यालय रानीचौरी	स्नातक एवं स्नातकोत्तर	08	1500.00	
2 कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना	योजना के अंतर्गत खेतों में तैयार फसल या खेत में कटी फसल अथवा मंडाई हेतु खलिहान में रखी फसल / उपज अवशेष अंश की अग्नि दुर्घटना से हुई क्षतिपूर्ति, कृषक के मकान में आग लगने से सम्पत्ति एवं पशुधन की क्षति तथा बाढ़ अथवा वर्षा से कृषि योग्य भूमि के कटाव से हुई क्षतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता निम्नानुसार प्रदान की जाती है—				
	जोत सीमा	देय धनराशि			
	सीमान्त एवं लघु कृषक (2 हैक्टेयर अर्थात 5 एकड़ तक भूमि)	अधिकतम ₹ 20,000 अथवा वास्तविक आकलित क्षति जो भी कम हो			
	सामान्य कृषक (2 हैक्टेयर या 5 एकड़ से अधिक भूमि)	अधिकतम ₹ 24,000 अथवा वास्तविक आकलित क्षति जो भी कम हो			

3 व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना	योजना के अंतर्गत खेतिहर मजदूरों तथा मण्डी समिति मजदूरों, जो केवल कृषि अथवा कृषि से संबंधित कार्य में सम्मिलित रहते हुए अथवा मण्डी समिति के मुख्य बाजार या जहां खाद्य आपूर्ति विभाग या खाद्य निगम या अन्य कृषि उत्पादकों एवं खरीददारों के मध्य कृषि उत्पाद का क्रय-विक्रय होता हो और उसी सीमा में किसी प्रकार का कृषि संबंधी कार्य करते समय दुर्घटना ग्रस्त होने पर शारीरिक क्षति/अपंगता/मृत्यु होने पर, उसकी क्षति पूर्ति का प्राविधान है।	
	दुर्घटना में मृत्यु होने पर	₹ 1,00,000
	दुर्घटना में दोनों हाथ/पैर दोनों आंखों या इनमें से कोई दो की क्षति होने पर	₹ 60,000
	दुर्घटना में एक हाथ/पैर अथवा एक आंख की क्षति होने पर	₹ 30,000
	दुर्घटना में एक हाथ/पैर की एक साथ चार अंगुलियों की क्षति होने पर	₹ 28,000
	दुर्घटना में हाथ/पैर की एक साथ तीन अंगुलियों की क्षति होने पर	₹ 20,000
	दुर्घटना में हाथ/पैर की अंगूठे की क्षति होने पर	₹ 18,000
	अंगूठे को छोड़कर किसी भी एक या दो अंगुली की क्षति होने पर	₹ 3,000
कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना का दुर्घटना के 7 दिनों के अन्दर तथा व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना की दुर्घटना की सूचना 45 दिनों के अन्दर संबंधित मण्डी समिति के सचिव अथवा सभापति को देनी होगी।		
4 विकास के कार्य में योगदान	ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पेयजल हेतु हैण्ड पम्प स्थापित करना, रज्जु मार्ग (रोप-वे) बनाना, संग्रहण केन्द्र निर्माण, कृषक-उपभोक्ता बाजार का निर्माण, जैविक खाद संयंत्र निर्माण	

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं—

मण्डी	सम्पर्क नं०
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, हल्द्वानी	7351003132
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, रामनगर	7351003133
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, बगवाड़ा रूद्रपुर	7351003134
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, काशीपुर	7351003135
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, जसपुर	7351003136
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, सितारगंज	7351003137
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, खटीमा	7351003138
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, आमबाग टनकपुर	05943—266309
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, किच्छा	7351003140
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, गदरपुर	7351003141
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, बाजपुर	7351003142
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, देहरादून	7351003143

मण्डी	सम्पर्क नं०
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, विकासनगर	7351003144
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, ऋषिकेश	7351003145
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, मंगलौर	7351003146
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, लक्सर	7351003147
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, कोटद्वार	9927022170
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, रूड़की	7351003150
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, चकराता	7351003144
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, हरिद्वार यूनिशन ज्वालापुर	7351003148
सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, भगवानपुर	01332—232333
प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर	8958827000
निजी सचिव निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर	7351003126
विपणन अधिकारी, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर	7351003127

योजना का विवरण	अनुमान्य सुविधाएं / अनुदान	प्रक्रिया
1. विधायक / सांसद निधि	फेडरेशनों के लिए संग्रहण हेतु विपणन केन्द्रों एवं कार्यालय निर्माण हेतु मा. सांसदों को प्रस्ताव भेजकर विपणन केन्द्रों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत हो सकती है।	
2. वी0आर0जी0एफ0 / वी0ए0डी0पी0	फेडरेशन के लिए वी0ए0डी0पी0 के तहत विपणन केन्द्रों के निर्माण हेतु अनुदान की व्यवस्था है। बी0आर0जी0एफ0 में मार्केटिंग सेन्टर बनते हैं। जहां ग्रामीणों को उत्पादित सामान की बिक्री हेतु सुविधा दी जाती है।	
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना एक्ट (मनरेगा)	<ol style="list-style-type: none"> पंजीकृत ग्रामीण परिवारों के समस्त वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रमिक के रूप में प्रति वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के श्रम रोजगार की गारन्टी प्रदान करता है। योजना के अन्तर्गत जल संरक्षण तथा जल संग्रहण, सूखे की रोकथाम, सूक्ष्म तथा लघु सिंचाई कार्य, चारा विकास एवं वनीकरण / दीवालबन्दी, चैकडैम, पारम्परिक जल निकायों का जीर्णोद्धार, भूमि विकास, ग्रामीण सड़के, भारत निर्माण राजीवगांधी सेवा केन्द्र आदि कार्य किये जाते हैं कृषि सम्बन्धी, पशुधन सम्बन्धी, ग्रामीण पेयजल सम्बन्धी, घरेलू एवं सामुदायिक स्वच्छता सम्बन्धी कार्यों को किया जाना भी इस योजना में शामिल किया गया है। कार्य करते समय दुर्घटना से घायल व्यक्ति की निःशुल्क चिकित्सा एवं अस्पताल में भर्ती भी स्थिति में आधी मजदूरी देय। मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में अनुग्रह राशि देय। कार्यस्थल पर चिकित्सा सुविधा, पीने का पानी, आराम हेतु छाया की उपलब्धता होना आवश्यक महिला एवं पुरुष का एक समान मजदूरी देने की व्यवस्था। पंजीकृत श्रमिकों को निर्धारित अवधि के भीतर कार्य आवंटन न होने की दशा में बेरोजगारी भत्ता देय 	<p>ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम रोजगार चाहने वाले परिवारों का पंजीकरण पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान करना।</p> <p>पंजीकृत श्रमिकों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन।</p> <p>ठेकेदारी प्रथा एवं मशीनों का उपयोग प्रतिबन्धित।</p> <p>आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर श्रम रोजगार की उपलब्धता</p>
4. इन्दिरा आवास योजना	सर्वशित आवास विहीन बी0पी0एल0 परिवारों को पहाड़ों में ₹ 37,500 एवं मैदान में ₹ 35,000 अनुदान की व्यवस्था है।	

योजना का विवरण	अनुमान्य सुविधाएं / अनुदान	प्रक्रिया
1. पेंशन योजना	वृद्धावस्था पेंशन (₹ 800 प्रतिमाह)	उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए सभी स्रोतों से मिलाकर ₹ 4,000 से अधिक न हो भूमि ढाई एकड़ (50 नाली) से अधिक न हो प्रार्थी को कोई पुत्र / पौत्र 20 वर्ष या अधिक आयु का है और बी०पी०एल० के अन्तर्गत आते हों तो पेंशन के पात्र होंगे।
	निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान (₹ 800 प्रतिमाह)	निराश्रित विधवा की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए सभी स्रोतों से मिलाकर मासिक आय ₹ 1,000 से अधिक न हो प्रार्थी का कोई पुत्र / पौत्र 20 वर्ष या अधिक आयु का है और वह बी०पी०एल० के अन्तर्गत आता हो तो वह पेंशन के पात्र होगा।
	विकलांग भरण पोषण अनुदान (₹ 800 प्रतिमाह) कुष्ठ रोग मुक्त विकलांग भरण पोषण अनुदान (₹ 1000 प्रतिमाह)	विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो मासिक आय सभी स्रोतों से ₹ 1,000 से अधिक न हो प्रार्थी को कोई पुत्र / पौत्र 20 वर्ष या अधिक आयु का है और वह बी०पी०एल० के अन्तर्गत आता हो तो पेंशन के पात्र होंगे।
2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर दिनांक 18.10.2012 के पश्चात् मृत्यु पर मृतक के उत्तराधिकारी को ₹ 20,000 आर्थिक सहायता	मृतक की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 59 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बी०पी०एल० प्रमाण पत्र होना चाहिए।
3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कन्याओं की शादी हेतु अनुदान	गरीब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु ₹ 50,000 आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान।	आवेदक की वार्षिक आय ₹ 15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास बी०पी०एल० अथवा अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
4. अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की बीमारी के इलाज हेतु अनुदान	गरीब अनु० जाति / जनजाति के व्यक्तियों हेतु गंभीर बीमारी के इलाज हेतु चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर ₹ 10,000 की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान	आवेदक बी०पी०एल० हो अथवा उसके परिवार की वार्षिक आय ₹ 15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
5. निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान	किसी भी जाति की निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु ₹ 50,000 आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान	आवेदिका की विधवा पेंशन स्वीकृत होना अनिवार्य है। बी०पी०एल० प्रमाण पत्रधारक होना चाहिए।

6. विधवा पुनर्विवाह अनुदान	18 साल से 35 साल की विधवा से विवाह करने पर दम्पति को ₹11,000 का अनुदान दिया जाता है	जो व्यक्ति विवाह करता है, उसकी दूसरी शादी / जीवित पत्नी न होने का प्रमाण पत्र
7. अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक विवाह योजना	दूसरे धर्म में शादी करने पर पुरस्कार स्वरूप ₹ 50,000 दिया जाता है।	
8. गौरा देवी कन्याधन योजना	ग्रामीण क्षेत्र में छात्रा को ₹25,000 की धनराशि कन्याधन राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में छात्रा के नाम से तीन वर्ष से पांच वर्ष की सावधि जमा के रूप में	गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बी0पी0एल0 परिवार की बालिकाओं अथवा सभी ऐसी बालिकाओं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय ₹15,976 (ग्रामीण क्षेत्रों में) तथा ₹21,206 (शहरी क्षेत्रों में) है, वे इस योजना के पात्र होंगे। योजना का लाभ परिवार की अधिकतम दो बालिकाओं को मिलेगा।
9. अटल आवास योजना	आवास निर्माण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में ₹ 38,500 तथा मैदानी क्षेत्रों में ₹ 35,000 अनुदान स्वरूप प्रदान किये जाते हैं।	ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवास विहीन परिवारों को आवासीय सुविधा दी जाती है। आवेदनकर्ता को ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित इन्दिरा आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, क्रेडिट कम सब्सिडी आवास योजना तथा अन्य किसी शासकीय आवास योजना के अन्तर्गत लाभ न मिला हो। वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से ₹ 32,000 से अधिक न हो
10. छात्रवृत्ति— अनु0जाति / अनु0जनजाति	कक्षा 1 से 5 तक ₹ 600 वार्षिक, कक्षा 6 से 8 तक ₹ 960 वार्षिक प्रदान की जाती है। कक्षा 9 व 10 तक ₹1500 छात्रवृत्ति एवं ₹ 750 बुक एंड ग्रांट वार्षिक प्रदान की जाती है। अनु0 जाति एवं जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं में पात्र छात्र—छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं पूर्ण शिक्षण शुल्क प्रदान किया जाता है।	अनु0जाति / अनु0जनजाति के समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कक्षा 9 व 10 तक परिवार की वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख तक होने पर ही छात्रवृत्ति देय है। दशमोत्तर कक्षाओं में परिवार की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख तक होने पर ही छात्रवृत्ति देय है।
12. पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति	कक्षा 3 से 5 तक एक—एक कुल 3 छात्र / छात्राओं को ₹ 500. वार्षिक तथा कक्षा 6 से 8 तक कुल 8 छात्र / छात्राओं को ₹ 800 वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 9 व 10 में ₹ 1,000 वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	कक्षा 6 व 8 तक परिवार की मासिक आय ₹ 1,000 तक होने पर ही छात्रवृत्ति देय है। दशमोत्तर कक्षाओं में अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 1 लाख पर छात्रवृत्ति देय है।

13. सामान्य जाति की महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति	व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली गरीबी रेखा से नीचे निवासरत सामान्य श्रेणी की महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु	बी0पी0एल0 कार्ड धारक
विकलांग कल्याण की अन्य योजनायें		
विकलांग दम्पति को शादी अनुदान	वर-वधु दोनों के विकलांग होने पर ₹14,000 तथा वर अथवा वधु में से एक के विकलांग होने पर ₹ 11,000 अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।	ऐसे विकलांग दम्पति जो आयकर की श्रेणी में नहीं आते।
कृत्रिम अंग	विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग क्रय करने हेतु न्यूनतम ₹ 500 एवं अधिकतम ₹3500 आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।	जिन्हें कृत्रिम अंग जैसे- ट्राइसाइकिल, व्हील चीयर, चश्मा, छड़ी, बैसाखी इत्यादि की आवश्यकता हो। निर्धारित आवेदन पत्र पर चिकित्साधिकारी की संस्तुति। मासिक आय सभी स्रोतों से ₹ 4,000 से अधिक न हो
विकलांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति	कक्षा 1 से 5 तक ₹50.00 कक्षा 6 से 8 तक ₹80.00 कक्षा 9 से 10 तक ₹170.00 हॉस्टलर डेस्कॉलर इन्टरमीडियेट ₹ 140.00 ₹ 85.00 स्नातक ₹180.00 ₹ 125.00 स्नातकोत्तर ₹ 240.00 ₹ 170.00	परिवार की मासिक आय ₹ 2,000 तक होने पर ही छात्रवृत्ति देय है।

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं—

अधिकारी	सम्पर्क नं०
निदेशक समाज कल्याण, हल्द्वानी	05946-2482813
नोडल अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, हल्द्वानी	05946-282233
जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा	05962-235564
जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर	05963-221334
जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़	05964-227475

अधिकारी	सम्पर्क नं०
जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून	0135.2651167, 921905307
जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	01368-222375
जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी	01378-227236
जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली	01372-252216
जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग	01364-233528
जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी	01374-223731

योजना का विवरण	अनुमान्य सुविधाएं / अनुदान	प्रक्रिया
स्वतः रोजगार	कृषि सेवा एवं अन्य व्यवसाय के अन्तर्गत ₹20,000 से ₹ 7 लाख तक की परियोजनाओं के संचालन हेतु राष्ट्रीयकृत / सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निगम द्वारा योजना की लागत का 50 प्रतिशत या ₹10,000 जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है। ₹ 2,500 से बड़ी लागत की योजनाओं में अनुदान के अतिरिक्त कुल योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।	अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार लाभान्वित होते हैं।
शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण	दुकान बनाने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में ₹ 50,001 धनराशि मैदानी क्षेत्रों में ₹7,800 दिया जाता है। इसमें ₹10,000 अनुदान एवं ब्याजमुक्त ऋण होता है जिसकी अदायगी 120 समान किस्तों में की जाती है।	योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों के लिये शहरी / अर्द्धशहरी / व्यवसायिक स्थल पर स्वयं की भूमि पर दुकान बनाने हेतु लाभ।
जनश्री बीमा योजना	बी0पी0एल0 परिवारों के मुखिया की मृत्यु की दशा में बीमा सुरक्षा प्रदान करना। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके नामित को ₹ 30,000 की बीमा राशि देय होगी। यदि मृत्यु दुर्घटनावश होती है तो बीमा राशि ₹ 75,000 का भुगतान किया जायेगा। दुर्घटना में स्थायी अपंगता (जैसे दो हाथ-पांव या एक आंख और एक हाथ या पांव अक्षम) होने पर ₹ 37,500 का भुगतान किया जायेगा। इस योजना में कक्षा 09 से 12 तक अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को शिक्षा सहयोग योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र ₹100 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	जनश्री बीमा योजना दिनांक 17.01.04 से प्रारम्भ की गई है। बी0पी0एल0 परिवारों के 18 से 59 वर्ष के आयु के मुखिया सदस्य होंगे। बी0पी0एल0 परिवार के पुरुष मुखिया के उत्तराखण्ड के बाहर निवास करने की दशा में महिला मुखिया योजना की सदस्या होंगी। योजना के अन्तर्गत लाभ हेतु दावा मृत्यु के एक वर्ष के अन्दर मान्य होगा।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम	गरीबी की रेखा / दोहरी गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।	अभ्यर्थी पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हो और ग्रामीण क्षेत्र में उसकी पारिवारिक आय ₹ 40,000 वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र में ₹ 55,000 से कम होनी चाहिये।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	वाहन एवं अन्य लघु व्यवसाय की योजनाओं में ऋण / अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।	लाभार्थी अनुसूचित जाति का होना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र में उसकी पारिवारिक आय ₹ 40,000 वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र में ₹ 55,000 से कम होनी चाहिये।
कौशल वृद्धि योजना	एस0सी0 / एस0टी0 / बी0सी0 / एम0सी / के शिक्षित बेरोजगारों की क्षमताओं के विकास तथा उनकी रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु विभिन्न व्यवसायों में निःशुल्क कौशल वृद्धि प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।	
जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनु0जाति / जनजाति / पिछड़ी जाति एवं विकलांगों हेतु न्यूनतम दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है।	

योजना का विवरण	अनुमान्य सुविधाएं / अनुदान
1 सोलर स्ट्रीट लाईट	सामूहिक रूप से ग्राम को ₹ 21,500 प्रति सयंत्र शत-प्रतिशत सब्सिडी (5 हजार सिक्योरिटी जमा करने पर)
2 बायोगैस निर्माण	कुल लागत का 50 प्रतिशत या कुल 10 हजार जो कम हो अनुदान देय है।
3 सोलर वॉटर हीटर	भारत सरकार द्वारा कोई अनुदान देय नहीं है एवं 100 ली. क्षमता के सयंत्र पर प्रतिमाह ₹ 100/- विद्युत बिल पर छूट की व्यवस्था है।
4 डिश टाईप सोलर कुकर	सयंत्र की कीमत पर 60 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा देय है।
5 घराटों का उच्चीकरण	मैकेनिकल उच्चीकरण हेतु लागत का 90 प्रतिशत अधिकतम ₹ 50,000 तक। इलैक्ट्रो मैकेनिकल उच्चीकरण हेतु लागत का 90 प्रतिशत अधिकतम ₹1.50 लाख तक।

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं-

पता	सम्पर्क नं०
देहरादून 25बी०-महन्त रोड, लक्ष्मण चौक	0135-2729676
पौड़ी विकास भवन पौड़ी	01364-233892
टिहरी तहसील भवन, नरेन्द्रनगर	01378-227260
चमोली निकट पेट्रोल पम्प, गोपेश्वर	01372-252423
रूद्रप्रयाग स्वामी सचिदानन्द नगर, रूद्रप्रयाग	01364-233892
उत्तरकाशी विकास भवन, उत्तरकाशी	01374-222538

पता	सम्पर्क नं०
अल्मोड़ा जिला पंचायत भवन, अल्मोड़ा	05962-234016
बागेश्वर विकास भवन, बागेश्वर	05963-221325
पिथौरागढ़ विकास भवन, पिथौरागढ़	05964-225872

योजना का विवरण	अनुमान्य सुविधाएं / अनुदान
1. वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना	लाभार्थी की स्वरोजगार परियोजना हेतु बैंक से ऋण उपलब्ध कराना। परियोजना लागत के 12.5 प्रतिशत के बराबर धनराशि उद्यमी द्वारा मार्जिन के रूप लगाई जाती है तथा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा चयनित लाभार्थी की ऋण राशि का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹5 लाख राज सहायता दिये जाने का प्राविधान।
2. हुनुर से रोजगार तक	18 से 28 वर्ष तक के युवकों एवं युवतियों को होटल व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित का प्रावधान। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षित युवाओं हेतु रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है।

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं—

पता	सम्पर्क नं०
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन निकट ओ.एन.जी.सी. हैलीपैड, गढ़ीकैण्ट	0135-2559898, 2559987
पर्यटन अधिकारी, पौड़ी	01368-222241 / 222241
जिला साहसिक क्रीडा अधिकारी टिहरी गढ़वाल	01376-232240 / 232240
जिला साहसिक क्रीडा अधिकारी, चमोली	01372-253185
जिला साहसिक क्रीडा अधिकारी, रुद्रप्रयाग	01364-233995 / 233995

पता	सम्पर्क नं०
पर्यटन अधिकारी, अल्मोड़ा	05962.225527
बागेश्वर, विकास भवन, बागेश्वर	05963-221562
प्रभारी पर्यटन अधिकारी, पिथौरागढ़	05964-225527
जिला साहसिक क्रीडा अधिकारी, उत्तरकाशी	01374-223130 01374-223130

योजना का विवरण	अनुमान्य सुविधाएं / अनुदान	
1 किसान क्रेडिट कार्ड योजना	कृषकों को बैंकों से सरल एवं आसान तरीके से पर्याप्त मात्रा में, आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराना। किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता 3 से 5 वर्ष। फसली ऋण के अतिरिक्त कृषि उपकरणों के रख-रखाव तथा उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी ऋण उपलब्ध। प्रत्येक कार्ड के लिए दुर्घटनावश मृत्यु / स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹50,000 तक की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुविधा। स्वीकृत ऋण सीमा के अन्तर्गत बैंक से लिए गए प्रत्येक ऋण की चुकौती 12 माह की अवधि के अन्तर्गत आवश्यक। कार्ड धारक के लिए ₹ 3 लाख तक की ऋण सीमा पर ब्याज रियायती दर देय।	मौखिक पट्टे पर, किराए पर, बंटवाई पर कृषि करने वाले कृषक सहित समस्त कृषक इस योजना हेतु पात्र हैं।
2 स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड	छोटे उद्यमियों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों द्वारा आसान तथा सस्ती दर पर कार्यशील पूंजी ऋण तथा थोक पूंजी उपलब्ध कराना। कार्ड धारकों को उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी समुचित राशि प्रदान की जाती है। अधिकतम ऋण सीमा ₹50,000 स्वीकृत ऋण सीमा पांच वर्ष की अवधि तक के लिए वैध।	ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के छोटे दस्तकार, हस्तकार, बुनकर, सेवा क्षेत्र में लगे व्यक्ति, मछली पालक, स्वरोजगारी, रिक्षा चालक एवं अन्य छोटे उद्यमी इस योजना के पात्र होंगे।
3 जनरल क्रेडिट कार्ड	ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में पात्र व्यक्ति (परिवार का मुखिया) को उसके पूरे परिवार की आय के आधार पर उनकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों द्वारा ऋण सीमा स्वीकृत करना। अधिकतम ऋण सीमा ₹50,000 स्वीकृत ऋण सीमा तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध।	बैंक की किसी भी अन्य ऋण योजना के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त करने वाले व्यक्ति योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
4 आर्टिजन क्रेडिट कार्ड	ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उत्पादन / निर्माण कार्य में लगे शिल्पकारों, दस्तकारों, कारीगरों की निवेश ऋण तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों से आसान एवं रियायती दर पर ऋण। अधिकतम ऋण सीमा : ₹ 20 लाख	सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत ऋण सुविधा का लाभ ले रहे कारीगर योजना के पात्र नहीं होंगे।

<p>4 कृषक क्लब कार्यक्रम</p>	<p>ऋण के माध्यम से कृषकों का विकास, प्रौद्योगिकी / प्रौद्योगिकि अंतरण, क्षमता निर्माण एवं जागरूकता । बैंक शाखा के साथ समन्वय स्थापित करना तथा ग्रामवासियों हेतु समुचित ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना । बीज, खाद, कीटनाशक आदि की सामूहिक खरीद तथा उत्पादन के विक्रय को क्लब के माध्यम से प्रात्साहित करना । तीन वर्ष तक प्रति क्लब ₹ 10,000 की दर से निम्न मदों हेतु सहायता : रख रखाव व्यय – ₹ 2000 आधार स्तरीय जागरूकता तथा उन्मुखता व्यय – ₹ 5000 विशेषज्ञ से मिले कार्यक्रम (एक वर्ष में 2 अनिवार्य) – ₹ 3000</p>	<p>कम से कम 10 सदस्य, अधिकतम की कोई सीमा नहीं । एक गांव या आसपास के 2.3 गांवों के किसानों को भी एक ही क्लब के अन्तर्गत रखा जा सकता है ।</p>
<p>5 केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित भेड़, बकरी, खरगोशों के समन्वित विकास की योजनाएं</p>	<p>देशी नस्लों के उत्पादन को सुधारना । विपणन को सुगम बनाना ताकि उत्पादक को अनेक पशुओं से बेहतर आय प्राप्त हो सके ।</p> <p>उद्यमी का अंशदान— पालन यूनिट हेतु न्यूनतम 10 प्रतिशत तथा ब्रीडिंग यूनिट हेतु कुल व्यय का न्यूनतम 25 प्रतिशत । बैंक ऋण— अनुदान सहित बैंक ऋण कुल वित्तीय व्यय का 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा । अनु.जाति / जन जातियों एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिए अनुदान सहित बैंक ऋण मंजूरी के समय कुल वित्तीय व्यय का 58.33 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए ।</p> <p>ऋण सहबद्धता— योजना के अन्तर्गत सहायता पात्र वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोजना की मंजूरी के अधीन तथा ऋण से सहबद्ध होगी ।</p>	<p>योजना में पालन इकाइयों के गठन हेतु—भूमि हीन श्रमिक, कृषक एवं स्वयं सहायता समूह, पारम्परिक भेड़ पालकों, महिलाओं, अनु जातियों / जनजातियों को वरीयता ।</p> <p>प्रजनन फार्म हेतु— किसान, गैर सरकारी संगठन, कम्पनियां । वरीयता उन संगठनों को दी जायेगी जिन्होंने छोटे जुगाली करने वाले पशु और खरगोश के पालन हेतु किसानों को समूहों में संगठित किया हो ।</p>

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं—

जिला प्रबन्धक नाबार्ड, अल्मोड़ा, कोसी रोड, अल्मोड़ा	05962-233123, 9412093444
जिला प्रबन्धक नाबार्ड, पिथौरागढ़, जी.आई.सी. रोड, पिथौरागढ़	
जिला प्रबन्धक नाबार्ड, रूद्रप्रयाग	
जिला प्रबन्धक नाबार्ड, टिहरी, नई टिहरी	1376-232190, 9412076390
जिला प्रबन्धक नाबार्ड, देहरादून	

जिला प्रबन्धक नाबार्ड, बागेश्वर	
जिला प्रबन्धक नाबार्ड, चमोली	
जिला प्रबन्धक नाबार्ड, पौड़ी, निकट सर्किट हाउस	1368 - 221970, 9411109889
जिला प्रबन्धक नाबार्ड, उत्तरकाशी, निमरोड, उत्तरकाशी	1374 - 224757, 9411103513
महा प्रबन्धक नाबार्ड, देहरादून	

योजना का विवरण	अनुमान्य सुविधाएं / अनुदान	
1 व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना	बैंको से ₹ 5 लाख तक पूंजी निवेश इकाईयों हेतु ऋण स्वीकृत करा कर 4 प्रतिशत से अधिक ब्याज की धनराशि उपादान के रूप में विभाग द्वारा वहन की जाती है।	उद्यमी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो।
2 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.जी.पी.)	उत्पादन परियोजना हेतु परियोजना इकाई के लिए अधिकतम ₹25 लाख की ऋण सीमा तथा व्यापार/सेवा सेक्टर के लिए अधिकतम ₹10 लाख की सीमा।	₹10 लाख उत्पादन सेक्टर तथा ₹5 लाख से अधिक की व्यापार/सेवा सेक्टर हेतु शैक्षणिक योग्यता कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्य वर्ग हेतु 25 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग हेतु 35 प्रतिशत मार्जिन आवश्यक है।
3 उत्तराखण्ड ऊन योजना	स्थानीय कारीगरों, संस्थाओं/समितियों तथा विभागीय केन्द्रों को ऊन व ऊनी माल की कार्डिंग एवं फिनिशिंग की सुविधा।	कताई-बुनाई केन्द्र
		कताई-बुनाई कलस्टर केन्द्र
	उत्पादन एवं बिक्री केन्द्रों की स्थापना। बाजार उपलब्ध कराने हेतु मेलों का आयोजन।	<ol style="list-style-type: none"> चमोली- गोपेश्वर, भीमतल्ला, देवाल एवं रडुवा रुद्रप्रयाग- अगस्तमुनि पौड़ी- श्रीनगर टिहरी- चम्बा उत्तरकाशी- भटवाडी व डुण्डा पिथौरागढ़- धारचुला, मुनस्यारी व थल बागेश्वर- बागेश्वर व कपकोट अल्मोड़ा- अल्मोड़ा
		बिक्री केन्द्र पौड़ी- श्रीनगर टिहरी- नई टिहरी देहरादून- मसूरी एवं देहरादून बागेश्वर- कपकोट एवं बागेश्वर पिथौरागढ़- मुनस्यारी

पी.एम.जी.पी. के अन्तर्गत अनुदान स्तर

लाभार्थियों के वर्ग	परियोजना लागत	अनुदान दर (प्रतिशत में)	
		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी के व्यक्ति	10	12	25
अनु0जाति / अनु0जनजाति / अ0पि0व0 / अल्पसंख्यक / महिला / पूर्व सैनिक / शारीरिक विकलांग / उत्तरपूर्व क्षेत्र, पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति	05	25	35

अधिकारी	सम्पर्क नं0
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, देहरादून	9412903290
अपर निदेशक, पौड़ी	01368-222480, 8937000925
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, देहरादून	0135-22520734, 7534925317
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, पौड़ी	01368-222281, 7534925320
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, टिहरी	01378-234092, 7534925319
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, चमोली	01372-252286, 7534925323
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, रुद्रप्रयाग	01364-233097, 7534925321
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उत्तरकाशी	01374-222401, 7534925322

अधिकारी	सम्पर्क नं0
क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन), अल्मोड़ा	05962.230112, 7534925324
क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन), चम्बा टिहरी	01376.255203, 7534925325
क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन), श्रीनगर	01346.257118, 7534925326
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, अल्मोड़ा	05962.232306, 7534925311
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बागेश्वर	05963.221454, 7534925312
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, पिथौरागढ़	05964.224170, 7534925314

योजना का विवरण	उद्देश्य	अनुमान्य सुविधाएं/ अनुदान
इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ स्मॉल रूमिनेन्ट्स एण्ड रेबिट्स (IDSRR) योजना		<ol style="list-style-type: none"> 1. भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान 2. भेड़ प्रदर्शनियों एवं पशुचिकित्सा शिविरों का आयोजन 3. उन्नत जर्म प्लाज्म की व्यवस्था
अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना		<ol style="list-style-type: none"> 1. भेड़पालकों का बायोमीट्रिक पंजीकरण 2. भेड़/ बकरी इकाईयों की स्थापना 3. बहुउद्देशीय पशुचिकित्सा शिविर एवं गोष्ठियों का आयोजन 4. भेड़-बकरी पालकों की कौशल वृद्धि 5. भेड़-बकरीपालकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 6. भेड़पालकों को सुविधाएं:- भेड़पालकों को प्रवर्जन मार्गों के दौरान सुविधाएं जैसे टेन्ट एवं मैट्रेसज/ गद्दे वितरित
भेड़ एवं ऊन सुधार योजना जनपद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में संचालित	स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम	भेड़ों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए विभिन्न संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण, बीमार भेड़ों का उपचार, भेड़ों में दवापान एवं दवास्नान आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
	सामाजिक सुरक्षा योजना	भेड़पालकों व भेड़ों का बीमा तथा भेड़ पाल्यों को छात्रवृत्ति
	मेढ़ा पालन इकाई की स्थापना	मेढ़ा पालन इकाईया स्थापना उन्नत प्रजाति के मेढ़ों का वितरण
एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)		क्रेता-विक्रेता सम्मेलन
		मशीन ऊन शियरिंग शिविरों का आयोजन
		भेड़-बकरीपालकों को अतिरिक्त सुविधाएं जैसे तिरपाल, मैट्रेसज/ गद्दे जूते,
		सोलर लैम्प, आयरन नेट आदि का वितरण
		भेड़-बकरी पैरावेट का चयन एवं स्थापना

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं—

अधिकारी	सम्पर्क नं.
अपर निदेशक, पौड़ी	01368-222480, 8937000925
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून	0135-2712572, 9412055957
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पौड़ी	01368-223084, 9412418507
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, टिहरी	01378-227501, 9412038233
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, चमोली	01372-252273, 8937003184
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग	01364-233251, 9412017255
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी	01374-222320, 9719473770

अधिकारी	सम्पर्क नं0
अपर निदेशक नैनीताल	05942-236204, 9411543185
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा	05962-232289, 9412034597
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर	05963-221475, 8006399205
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़	05964-225319, 9837061566

उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति (Uttarakhand Skill Development Society)

राज्य सरकार उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति के द्वारा रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करती है। कार्यक्रम की विशेषताएँ इस प्रकार हैं –

- राज्य के युवक एवं युवतियों हेतु पूर्णतः निःशुल्क कार्यक्रम।
- प्रशिक्षण केंद्र के विकासखण्ड में निवास न करने वाले छात्रों हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति होने पर प्रशिक्षण अवधि में ₹ 2500 प्रतिमाह का भत्ता।
- प्रमाणन में सफल 70 प्रतिशत प्रशिक्षुओं हेतु सुनिश्चित रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने की सुविधा।
- प्रशिक्षण से पूर्व प्रशिक्षण प्रादताओं द्वारा 50 प्रतिशत प्रशिक्षुओं हेतु रोजगार के अवसरों की उपलब्धता।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल विषय के साथ 60 घंटे का बुनियादी कम्प्यूटर स्किल्स एवं सॉर्ट स्किल्स का प्रशिक्षण।
- बायोमीट्रिक उपस्थिति सुविधा।

निम्न व्यवसायों में प्रशिक्षण की सुविधा

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल विषय	मॉड्यूल	प्रशिक्षणार्थी पात्रता	कोर्स की अवधि
1	कृषि सेक्टर	प्रथम चरण		
		Repair & Maintenance Of Tyres And Tubes	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास	150 घंटे
		Repair, Maintenance & Field Operation Of Tillage Equipments.	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास	150 घंटे
		Repair, Maintenance & Field Operation Of Soil Farming Equipments.	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास	120 घंटे
		Repair, Maintenance & Field Operation Of Seed Drills	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास	150 घंटे
		Repair, Maintenance & Field Operation Of Planters & Trans Planter.	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास	150 घंटे
		Repair, Maintenance & Field Operation Of Root Harvesting Equipments.	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास	120 घंटे

	Basic Tractor Servicing.	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास	150 घंटे
	Repair, Maintenance & Field Operation of Irrigation Equipment	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास	150 घंटे
	Repair, Maintenance & Field Operation of Spraying And Dusting Equipments	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास	150 घंटे
	Repair, Maintenance & Field Operation of Harvesting And Threshing Equipments.	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास	240 घंटे
	Basic Cultivation for Cereal Crops.	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास	160 घंटे
	Repair & Maintenance of Radiator	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास	120 घंटे
	Repair, Maintenance & Field Operation of Energy Sources Devices.	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास	90 घंटे
	द्वितीय चरण		
	Repair And Overhauling of Tractor	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास प्रथम चरण का प्रशिक्षण	480 घंटे
	Repair ,Maintenance of Operations Of Power Tiller	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास प्रथम चरण का प्रशिक्षण	240 घंटे
	Repair & Overhauling of Hydraulics System	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास प्रथम चरण का प्रशिक्षण	150 घंटे
	Cultivation for Oil Seeds and Pulses.	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास प्रथम चरण का प्रशिक्षण	90 घंटे

	Cultivation For Vegetables	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास प्रथम चरण का प्रशिक्षण	150 घंटे
	Cultivation Of Orchards With Special Reference to Citrus fruits	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास प्रथम चरण का प्रशिक्षण	120 घंटे
	Cultivation of Potatoes	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास प्रथम चरण का प्रशिक्षण	120 घंटे
	Cultivation of Cotton	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास प्रथम चरण का प्रशिक्षण	120 घंटे
	Cultivation of Groundnut And Sunflower.	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास प्रथम चरण का प्रशिक्षण	120 घंटे
	Cultivation of Fodder	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास प्रथम चरण का प्रशिक्षण	90 घंटे
	Repair, Maintenance & Field Operation Of Combined Harvester	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास प्रथम चरण का प्रशिक्षण	240 घंटे
	Repair, Maintenance & Field Operation of Post Harvesting Equipments	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास प्रथम चरण का प्रशिक्षण	240 घंटे
	Repair, Maintenance & Field Operation of Processing Equipments.	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास प्रथम चरण का प्रशिक्षण	90 घंटे

	Repair, Maintenance & Field Operation of Land Shaping/scaping And Development Machinery	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास प्रथम चरण का प्रशिक्षण	150 घंटे
	Custom Hiring Of Agriculture Machinery	कम से कम 14 वर्ष पांचवी पास प्रथम चरण का प्रशिक्षण	150 घंटे
	प्रथम चरण		
	Land Scaping & Floriculture	कम से कम 15 वर्ष या अधिक दसवी पास	300 घंटे
	Fruit Cultivation	कम से कम 14 वर्ष या अधिक सातवी पास	300 घंटे
	Seed Production	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवी पास	180 घंटे
	Mushroom Cultivation	कम से कम 14 वर्ष या अधिक पांचवी पास	180 घंटे
	Apiary	कम से कम 14 वर्ष या अधिक पांचवी पास	120 घंटे
	Biofertilizer	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवी पास	120 घंटे
	Medicinal Plant	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवी पास	300 घंटे
	Agro Forestry	कम से कम 14 वर्ष या अधिक सातवी पास	300 घंटे
	Vermiculturing and Vermicomposting	कम से कम 14 वर्ष या अधिक पांचवी पास	90 घंटे
	Preservation Of Fruits & Vegetables	कम से कम 14 वर्ष या अधिक पांचवी पास	240 घंटे

		Gardeners	कम से कम 18 वर्ष या अधिक आठवीं पास	300 घंटे
		Entrepreneurship Development In Agri Business	कम से कम 20 वर्ष या अधिक ग्रेजुएट पास	480 घंटे
2	Banking and Accounting Sector	Accounting (BAN 101)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक बारहवीं पास	450 घंटे
		Banking Associates (Ban 202)	कम से कम 18 वर्ष या अधिक बारहवीं पास एवं BAN 101 में प्रशिक्षित	300 घंटे
		Banking Sales Representative (Ban 103)	कम से कम 16 वर्ष या अधिक दसवीं पास	180 घंटे
		Mutual Fund Associate (Ban 104)	कम से कम 16 वर्ष या अधिक दसवीं पास	200 घंटे
3	Business & commerce Sector	प्रथम चरण		
		Small Office /Home Office Co- Ordinators (Bsc 101)	कम से कम 20 वर्ष या अधिक ग्रेजुएट	480 घंटे
		Junior Marketing Associates (Bsc 102)	कम से कम 20 वर्ष या अधिक ग्रेजुएट	480 घंटे
		Junior Human Resource Associates (Bsc 103)	कम से कम 20 वर्ष या अधिक ग्रेजुएट	480 घंटे
		Junior Finance Associates (Bsc 104)	कम से कम 20 वर्ष या अधिक ग्रेजुएट	480 घंटे
		द्वितीय चरण		
		Small Office/Home Office Entrepreneurs (Bsc 205)	कम से कम 20 वर्ष या अधिक ग्रेजुएट एवं (BSC 101) में प्रशिक्षित	480 घंटे
		Marketing Associates (Bsc 206)	कम से कम 20 वर्ष या अधिक ग्रेजुएट एवं (BSC 202) में प्रशिक्षित	480 घंटे

		Human Resource Associate (Bsc 207)	कम से कम 20 वर्ष या अधिक ग्रेजुएट एवं (BSc 103) में प्रशिक्षित	480 घंटे
		Finance Associate (Bsc 208)	कम से कम 20 वर्ष या अधिक ग्रेजुएट एवं (BSc 104) में प्रशिक्षित	480 घंटे
4	Electrical Sector	प्रथम चरण		
			कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास	600 घंटे
		Electrician Transmission Line	कम से कम 18 वर्ष या अधिक आठवीं पास, शारीरिक रूप से सक्षम	800 घंटे
		Electrical Winder	कम से कम 18 वर्ष या अधिक आठवीं पास, शारीरिक रूप से सक्षम एवं Domestic Electrician के रूप में प्रशिक्षित	600 घंटे
5	Electronics & Hardware Sector	Repair And Maintenance of Domestic Electronic Appliances	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास	520 घंटे
		Repair And Maintenance of Office Electronic Equipments	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास	520 घंटे
		Repair And Maintenance of Personal Electronic Devices	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास	520 घंटे
		Operation, Installation And Maintenance of Physiotherapy Equipment	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास हिन्दी एवं अंग्रेजी में पढ़ना व लिखना	200 घंटे
		Operation, Installation And Maintenance of ECG & ICCU Instruments	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास हिन्दी एवं अंग्रेजी में पढ़ना व लिखना	200 घंटे

		Operation and Maintenance of X-Ray Machine & Darkroom Assistance	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास हिन्दी एवं अंग्रेजी में पढ़ना व लिखना	240 घंटे
		Operation And Maintenance Clinical Equipment	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास हिन्दी एवं अंग्रेजी में पढ़ना व लिखना	200 घंटे
6	Fabrication Sector	Arc & Gas Welders	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास	700 घंटे
		Tig Welders	आठवीं पास, ARC & GAS WELDER का सर्टिफिकेट	300 घंटे
		Co2 Welders	आठवीं पास, ARC & GAS WELDER का सर्टिफिकेट	300 घंटे
		Pipe Welders	आठवीं पास, ARC & GAS WELDER का सर्टिफिकेट	300 घंटे
		Welders (Repair & Maintenance)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास	500 घंटे
		Sheet Metal Workers (Panels, Cabins & Ducts)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास	500 घंटे
7	Fashion Design	Assistant Fashion Sales & Show Room Representatives	कम से कम 14 वर्ष या अधिक सातवीं पास	680 घंटे
		Apparel Ornamentalists Grade 1	कम से कम 14 वर्ष या अधिक सातवीं पास	400 घंटे
		Batik Printing Specialists	कम से कम 14 वर्ष या अधिक सातवीं पास	500 घंटे
		Tie And Dye Specialists	कम से कम 14 वर्ष या अधिक सातवीं पास	500 घंटे

		Block Printer	कम से कम 14 वर्ष या अधिक सातवीं पास	500 घंटे
		Accessories Designer	कम से कम 14 वर्ष या अधिक सातवीं पास	500 घंटे
		Advance Fashion Designing	Certificate in Fashion Design Technology	1040 घंटे
		Fashion Design Technology	बारहवीं पास	1040 घंटे
		Retail Sales Associates	दसवीं पास	520 घंटे
		Software Application In Fashion Design	दसवीं पास with skills in sketching & basic computer operation.	580 घंटे
		Software Application In Apparel Merchandising	बारहवीं पास, with 1 year industry experience OR Certificate in Fashion Designing/Garment Manufacturing	220 घंटे
		Merchandising	बारहवीं पास	680 घंटे
		Export Documentation & Procedure	बारहवीं पास, Experience in any Garment Unit	680 घंटे
		Aari Machine	आठवीं पास	680 घंटे
		Software Application In Fashion Technology	दसवीं पास, with skills in sketching & basic computer operation	680 घंटे
8	Food Processing	Fruits And Vegetables Processing & Preservation Sector	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	500 घंटे
		Bakery & Confectionery	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास	500 घंटे
		Agro Based Products	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	500 घंटे
		Technology of Cereals and Pulses Based Products	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	500 घंटे

	Meat And Meat Products	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	500 घंटे
	Manufacturing of Alcoholic Beverages	कम से कम 20 वर्ष या अधिक Bachelor degree in life science	350 घंटे
	Technology of Manufacturing Bakery Products	कम से कम 18 वर्ष या अधिक बारवीं पास	350 घंटे
	Processing of Sugar and Cocoa Confectionery Products	कम से कम 18 वर्ष या अधिक बारवीं पास	350 घंटे
	Processing and Preserving Milk and Milk Products	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास	315 घंटे
	Processing of Fishes and Their By-Products	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास	314 घंटे
	Processing and Value Addition of Plantation Crops	कम से कम 18 वर्ष या अधिक बारवीं पास	350 घंटे
	Food Beverages Processing Technology	कम से कम 16 वर्ष या अधिक दसवीं पास	350 घंटे
	Slaughter House Practices and Processing of Meat Products	कम से कम 14 वर्ष या अधिक पांचवीं / आठवीं पास	273 घंटे
	Manufacturing of Functional Foods and Nutraceuticals	कम से कम 20 वर्ष या अधिक ग्रेजुएट साईंस	361 घंटे
	Manufacturing of Traditional Foods and Their Indigenisation	कम से कम 18 वर्ष या अधिक आठवीं	336 घंटे
	Handling and Safe Storage of Food Grains	कम से कम 16 वर्ष या अधिक बारहवीं	315 घंटे
	Processing of Sugarcane and Sugar	कम से कम 18 वर्ष या अधिक बारहवीं	350 घंटे

	Food Processing and Preservation	कम से कम 18 वर्ष या अधिक बारहवीं	350 घंटे
	Packaging Technology of Fruits and Vegetables	कम से कम 18 वर्ष या अधिक बारहवीं	350 घंटे
	Brewing Technology	कम से कम 18 वर्ष या अधिक बारहवीं	350 घंटे
	Food Packaging and Labeling	कम से कम 17 वर्ष या अधिक बारहवीं	295 घंटे
	Food Safety and Microbial Analysis	कम से कम 20 वर्ष या अधिक ग्रेजुएट Science (Biology /Medical) stream	320 घंटे
	Food Supply Chain Management	कम से कम 18 वर्ष या अधिक बारहवीं	350 घंटे
	Skill Development in Sensory Assessment Techniques	कम से कम 20 वर्ष या अधिक ग्रेजुएट साईंस	350 घंटे
	Manufacturing Techniques Of Food Processing Machinerics	कम से कम 20 वर्ष या अधिक आई.टी.आई. डिप्लोमा	630 घंटे
	Operation And Maintenance Of Food Processing Equipment	कम से कम 20 वर्ष या अधिक आई.टी.आई. या डिप्लोमा	350 घंटे
	Instrumentation And Automation In Food Industry	कम से कम 20 वर्ष या अधिक ग्रेजुएट with Science stream preferably with mathematics	315 घंटे
	Food Industry Business Management	कम से कम 20 वर्ष या अधिक ग्रेजुएट	315 घंटे
	Manufacturing of RTE, RTC and RTS Food Products	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	315 घंटे

		Rice Milling Techniques	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं / दसवीं पास	312 घंटे
		Manufacturing of Extruded Products	कम से कम 17 वर्ष या अधिक बारहवीं / आई.टी.आई.	350 घंटे
		Processing of Spices & Condiments	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास	315 घंटे
		Processing of Oilseeds and Their By-Products	कम से कम 18 वर्ष या अधिक बारहवीं पास	350 घंटे
9	Garment	Hand Embroider (Gar 501)	पांचवीं पास	520 घंटे
		Zig-Zag Machine Embroidery (Gar 502)	आठवीं पास	680 घंटे
		Garment Packer / Ironer / Fusing Technician (Gar 505)	पांचवीं पास	360 घंटे
		Industrial Sewing Machine Technician (Gar 504)	आठवीं पास	360 घंटे
		Computerized Embroidery Techniques (Gar 603)	आठवीं पास	360 घंटे
		Apparel Finisher & Checker (Gar 503)	आठवीं पास	360 घंटे
		Visual Merchandising (Gar 506)	आठवीं पास	680 घंटे
		Ornamentalist - Bead Work For Garment (Gar 507)	पांचवीं पास	520 घंटे
		Ornamentalist - Ikkat Designer (Gar 508)	पांचवीं पास	520 घंटे
		Traditional Embroidery (Gar 509)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास	1040 घंटे
		Zardosi Work (Gar 510)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक पांचवीं पास	680 घंटे
		Ornamentalist - Hand Work Specialist Appliqué (Gar 511)	पांचवीं पास	520 घंटे
		Ornamentalist - Hand Work Specialist Patch Work (Gae 512)	पांचवीं पास	520 घंटे
		Ornamentalist - Hand Work Specialist Combination Of Different Skills. (Gar 513)	पांचवीं पास	520 घंटे
		Advance Apparel Manufacturing (Gar 901)	बारहवीं पास	1040 घंटे
Apparel Manufacturing Technology - Woven (Gar 804)	बारहवीं पास	1040 घंटे		

Apparel CAD/ CAM (Gar 507)	दसवीं पास + Gar 701 + Gar 601	360 घंटे
Apparel Product Specialty (Lounge Wear, Trousers, Knits & Jackets) (Gar 802)	आठवीं पास + Gar 502	360 घंटे
Apparel Quality Assurance & Compliance (Gar 803)	बारहवीं पास	1040 घंटे
Apparel Manufacturing Technology - Knits (Advance)(Gar902)	दसवीं पास+ Gar 702	520 घंटे
Apparel Pattern Making & CAD (Gar 805)	बारहवीं पास	1040 घंटे
Textile Design Technology (Gar 806)	बारहवीं पास	1040 घंटे
Apparel Production Supervision (Gar 807)	दसवीं पास एवं गारमेंट इंडस्ट्री में एक साल का अनुभव	520 घंटे
Apparel Export Merchandising (Gar 808)	बारहवीं पास+ GAR 804 + GAR 801	520 घंटे
Basic Apparel Pattern Making (Gar 701)	दसवीं पास	520 घंटे
Apparel Manufacturing Technology - Knits (Foundation) (Gar 702)	दसवीं पास	520 घंटे
Apparel Production Supervision & Quality Control (Gar 703)	बारहवीं पास	520 घंटे
Textile/ Garment Testing & Quality Control (Gar 704)	बारहवीं पास	520 घंटे
Apparel Production Planning & Industrial Engineering (Gar 705)	बारहवीं पास 2 years Experience as supervisor or graduate/Diploma/Certificate in any course of Apparel Sector	520 घंटे
Garment Construction Techniques (Gar 601)	आठवीं पास	410 घंटे
Software Application in Pattern Making (Gar 602)	दसवीं पास, knowledge of garment Pattern Making & Computers	360 घंटे
Apparel Quality & Compliance (Gar 604)	बारहवीं पास	520 घंटे
Software Application in Textile Design (Gar 605)	दसवीं पास, skills in sketching & Basic Computer Operations	360 घंटे
Surface Ornamentation Techniques (Gar 514)	पांचवीं पास	208 घंटे

		Industrial Sewing Machine Operations(Gar 515)	पांचवीं पास	360 घंटे
		Tailor (Basic Sewing Operator) (Gar 516)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक पांचवीं पास	270 घंटे
		Shirt, Kurta & Safari Making (Gar 517)	कम से कम 17 वर्ष या अधिक पांचवीं पास	1200 घंटे
		Trouser & Pyjama Making (Gar 518)	कम से कम 17 वर्ष या अधिक पांचवीं पास	1200 घंटे
		Jacket, Jodhpuri & Sherwani Making (Gar 519)	कम से कम 17 वर्ष या अधिक पांचवीं पास	1800 घंटे
		Jacket Jodhpuri & Sherwani Making (With Drafting & Cutting) (Gar 620)	कम से कम 17 वर्ष या अधिक पांचवीं पास	600 घंटे
		Drafting In Fabric And Cutting - Shirt, Safari & Kurta (Machinery Tools & Equipment Remain Same) (Gar 621)	कम से कम 17 वर्ष या अधिक पांचवीं पास Student with tailoring experience preferred	300 घंटे
		Drafting And Cutting - Trouser & Pyjama (Machinery Tools – Equipment Remain Same) (Gar 622)	कम से कम 17 वर्ष या अधिक पांचवीं पास Student with tailoring experience preferred	300 घंटे
		Drafting And Cutting - Jacket, Jodhpuri, Sherwani (Machinery Tools & Equipment Remain Same) (Gar 623)	कम से कम 17 वर्ष या अधिक पांचवीं पास Student with tailoring experience preferred	400 घंटे
10	Hospitality	Cook General (Hos701)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक पांचवीं पास	520 घंटे
		Cook Continental (Hos702)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक पांचवीं पास	520 घंटे
		Cook (Indian Cuisine) (Hos703)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक पांचवीं पास	520 घंटे

		House Keeper (Hos704)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक पांचवीं पास	520 घंटे
		Hospitality Assiatant (General) (Hos705)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक पांचवीं पास	520 घंटे
		House Hold Services (General) (Hos706)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक पांचवीं पास	544 घंटे
		Baker	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	520 घंटे
		Food Production-Baker (Hos107)		
		Bartender	कम से कम 18 वर्ष या अधिक आठवीं पास	520 घंटे
		Bell Boy	कम से कम 16 वर्ष या अधिक आठवीं पास	520 घंटे
		Food And Beverages Service	कम से कम 14 वर्ष या अधिक पांचवीं पास	544 घंटे
		Front Office Cum Receptionist	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	520 घंटे
		Front Office Cum Receptionist	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	520 घंटे
11	ICT	Accounts Assistant Using Tally	दसवीं पास	500 घंटे
		Dtp & Print Publishing Assistant	दसवीं पास	500 घंटे
		Computer Hardware Assistant	दसवीं पास	500 घंटे
		Computer Network Assistant	दसवीं पास	500 घंटे
		Non Voice Business Process Outsourcing	दसवीं पास	500 घंटे
		Voice Business Process Outsourcing	दसवीं पास	500 घंटे
		Web Designing & Publication Assistant	दसवीं पास	1000 घंटे
		Animation And Multimedia Assistant	दसवीं पास	1000 घंटे

		Media Developers Assistant	दसवीं पास	500 घंटे
13	Financial Sector - Insurance	Insurance Sales Advisor (Ins101)	दसवीं पास	150 घंटे
		Senior Sales Person (Non-Life Insurance) Ins202	दसवीं पास + INS101में प्रशिक्षित	250 घंटे
		Senior Sales Person (Life Insurance) Ins203	दसवीं पास + INS101में प्रशिक्षित	250 घंटे
		Insurance Sales Associate Ins104	कम से कम 21 वर्ष या अधिक स्नातक या समक्ष	480 घंटे
14	Medical & Nursing Sector	Bedside Assistant- Med101	आठवीं पास	450 घंटे
		Basic Of Anatomy & Physiology- MED102 (I Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	300 घंटे
		Dietician Assistant- Med103	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	270 घंटे
		Inoculator- Med104	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास	300 घंटे
		Vaccination Technician- Med205	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED102 में प्रशिक्षित	200 घंटे
		Dresser- Med206	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED102 में प्रशिक्षित	270 घंटे
		Midwifery Assistant- MED207 (II Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED102 में प्रशिक्षित	200 घंटे
		Operation Theatre Technician- MED208 (II Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED102 में प्रशिक्षित	270 घंटे
		Dental Ceramic Assistant- Med118	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	120 घंटे
		Dental Ceramic Technician- MED219 (II Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED118 में प्रशिक्षित	450 घंटे

Dental Hygiene Assistant- Med120	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	300 घंटे
Dental Mechanic- Med121	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	220 घंटे
Pharmacy Assistant- Med124	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	180 घंटे
Basic Testing Equipments- Med225	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + Level 1(PHA101) में प्रशिक्षित	180 घंटे
Optician- MED122	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं पास	120 घंटे
Optometrist- MED123	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	170 घंटे
Physical Modality Operator- MED209 (II Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED102 में प्रशिक्षित	300 घंटे
Diathermy Operator- MED210 (II Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED102 में प्रशिक्षित	300 घंटे
Bio Electrical Modality- MED211 (II Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED211 में प्रशिक्षित	300 घंटे
Chiropractic Operator- Med212	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED102 में प्रशिक्षित	200 घंटे
Biomobility Technician- Med213	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED102 में प्रशिक्षित	300 घंटे
Therapeutic Massage Technician- Med214	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED102 में प्रशिक्षित	300 घंटे
Therapeutic Laser Technician - MED315 (III Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED213/214 में प्रशिक्षित	300 घंटे

EMG Technician- MED316 (III Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED213/214 में प्रशिक्षित	300 घंटे
Occupational Therapy Assistant - MED217 (II Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED102 में प्रशिक्षित	300 घंटे
Yoga Therapist- MED126 (I Level)	दसवीं पास	360 घंटे
Advance Yoga Therapist- MED227 (II Level)	दसवीं पास+ MED126 में प्रशिक्षित	360 घंटे
Naturopathist- MED128 (I Level)	दसवीं पास	360 घंटे
Naturopathist- MED229 (II Level)	दसवीं पास+ MED128 में प्रशिक्षित	360 घंटे
External Therapist- MED130 (I Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	380 घंटे
Dialysis Assistant- MED131 (I Level)	कम से कम 18 वर्ष या अधिक बारहवीं पास	450 घंटे
Medical Record Technician- MED132 (I Level)	कम से कम 18 वर्ष या अधिक बारहवीं पास एवं बेसिक कम्प्यूटर ज्ञान	450 घंटे
Health Care Multipurpose Worker- MED133 (I Level)	कम से कम 18 वर्ष या अधिक दसवीं पास	450 घंटे
Nursing Aides- MED134 (I Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	400 घंटे
Infection Control Assistant- MED135 (I Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	180 घंटे
CSSD Assistant (Central Sterile Supply Department) - MED236 (II Level)	कम से कम 18 वर्ष या अधिक आठवीं पास, MED 102 में प्रशिक्षित	180 घंटे
LAB ASSISTANT- MED237 (II Level)	कम से कम 18 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED102 में प्रशिक्षित	450 घंटे
Dialysis Technician- MED238 (II Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक बारहवीं पास + MED131 में प्रशिक्षित	270 घंटे

		Radiology Technician- MED239 (II Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED102 में प्रशिक्षित	270 घंटे
		Central Sterile Supply Dept (CSSD) Technician- MED240 (II Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED102 में प्रशिक्षित	270 घंटे
		Operation Theatre (Ot) Assistant- Med241 (II Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED102 में प्रशिक्षित	270 घंटे
		Lab Technician- MED242 (III Level)	कम से कम 18 वर्ष या अधिक दसवीं पास + MED237 में प्रशिक्षित	450 घंटे
		Assistant Diet Counsellor- MED143(I Level)	बारहवीं पास	500 घंटे
		Oncology Nursing - Med144	कम से कम 18 वर्ष या अधिक Qualified nurses	120 घंटे
15	Retail Sector	Sales Person (Retail)-RET101	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	180 घंटे
		Senior Sales Person (Retail) -RET102	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास + RET 101 में प्रशिक्षित	120 घंटे
		Retail operations -RET103	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	180 घंटे
		Sales Person (Door to Door) -RET104 (I Level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक दसवीं पास	180 घंटे
16	Security Sector	Personal Security Guard-SEC 101	कम से कम 16 वर्ष या अधिक आठवीं पास	150 घंटे
		Industrial Security Guard-SEC 102	कम से कम 16 वर्ष या अधिक आठवीं पास	150 घंटे
		Event/ Conference Security Guard-SEC 103	कम से कम 16 वर्ष या अधिक आठवीं पास	150 घंटे
		Security Guard (General) -SEC 104	कम से कम 16 वर्ष या अधिक आठवीं पास	150 घंटे

	Security Guard (General) and Personal Security Guard -SEC 205	कम से कम 16 वर्ष या अधिक आठवीं पास + SEC 104 or SEC 101 में प्रशिक्षित	90 घंटे
	Security Guard (General) and Event / Conference Security Guard-SEC 206	कम से कम 16 वर्ष या अधिक आठवीं पास + SEC 104 or SEC 103 में प्रशिक्षित	90 घंटे
	Security Guard (General) and Industrial Security Guard-SEC 207	कम से कम 16 वर्ष या अधिक आठवीं पास + SEC 104 or SEC 102 में प्रशिक्षित	90 घंटे
	Personal Security Guard and Industrial Security Guard-SEC 208	कम से कम 16 वर्ष या अधिक आठवीं पास + SEC 101 or SEC 102 में प्रशिक्षित	90 घंटे
	Personal Security Guard and Event/ Conference Security Guard-SEC 209	कम से कम 16 वर्ष या अधिक आठवीं पास + SEC 101 or SEC 103 में प्रशिक्षित	90 घंटे
	Assistant Security Officer in - charge: Security (General); Industrial Security; Event / Conference Security- SEC 210	कम से कम 16 वर्ष या अधिक आठवीं पास + SEC 101/102/103/104 में प्रशिक्षित व आर्मर्ड फोर्स के 15 वर्ष का कार्यअनुभव शारीरिक रूप से फिट	180 घंटे
	Security Guard- SEC 501	आयु 18 से 45 वर्ष दसवीं पास	180 घंटे
	Security Supervisor (General) - SEC 501	आयु 25 से 45 वर्ष बारहवीं पास या 3 साल का सिक्योरिटी गार्ड का अनुभव SEC 501 प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट के सहित शारीरिक रूप से फिट	500 घंटे

17	Soft Skills	Soft Skills for Base line staff in service Sector- SS101(I level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक पांचवी से सातवीं पास	100 घंटे
		Spoken English and Communication Skill- SS102 (I level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक सातवीं पास	180 घंटे
		Soft Skills for Front Line Assistant- SS203 (II level)	कम से कम 14 वर्ष या अधिक आठवीं से दसवीं पास SS101मॉड्यूल पास को 100 घंटे की छूट	150 घंटे
		Soft Skills for Supervisors/Associates- SS 304 (III level)	कम से कम 17 वर्ष या अधिक बारहवीं से स्नातक पास SS102 मॉड्यूल पास को 150 घंटे की छूट	180 घंटे
18	Travel & Tourism	Ticket Reservation Assistant- TRV 101	कम से कम 16 वर्ष या अधिक बारहवीं पास	520 घंटे
		Tour Agent and Travel Operator - TRV 103	कम से कम 16 वर्ष या अधिक बारहवीं पास	520 घंटे
		Tour Assistant - TRV 102	कम से कम 16 वर्ष या अधिक बारहवीं पास	520 घंटे
		Tour Guide for International Tourist - TRV 104	कम से कम 16 वर्ष या अधिक बारहवीं पास	520 घंटे
		Travel & Tourism Executive - TRV	कम से कम 16 वर्ष या अधिक बारहवीं पास	520 घंटे

उक्त प्रशिक्षणों हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं:-

नोडल अधिकारी: सुश्री चन्द्रकांता, सलाहकार: श्री शावेज बक्श (7895623526)

पता: 26 ई.सी. रोड, महिला आई.टी.आई., निकट सर्वे चौक, देहरादून

फोन नं.: 7536003331, 7536003332 ईमेल: info.uksdm@gmail.com, वेबसाइट: www.uksdm.org

राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)

- राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड) उद्यमिता विकास के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। संस्थान की प्रमुख गतिविधियों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.), प्रबंध विकास कार्यक्रम (एमडीपी), उद्यमिता सह-कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) आदि शामिल हैं। संस्थान की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—
 - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करके लाभग्राहियों तथा अनुदेशकों के लिए पुस्तक प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण आदि आयोजित करना।
 - ई-लर्निंग मॉड्यूल
 - वेब प्लेटफॉर्म (www.virtualcluster.in) पर उद्यमों की स्थापना, उद्भवन के द्वारा प्रशिक्षण के पश्चात सहायता प्रदान करना।
 - कुशल व्यक्तियों के नौकरी पोर्टल (www.niesbudnaukri.com) विकसित करना एवं उपलब्ध करवाना।

निम्न व्यवसायों में प्रशिक्षण की सुविधा

क्र.सं.	मॉड्यूल	कोर्स की अवधि
1	AC Refrigerator & Water Cooler Repair	300
2	Adobe	125
3	Advance JAVA'	125
4	Bakery Products	125
5	Blacksmithy	200
6	CAD/CAM	250
7	Carpentry	125
8	Catering	125
9	Computer Accounting with Tally	250
10	Cosmetology and Beautician	125
11	Cyber cafe	125
12	CC++ and OOPs	125
13	Computer Hardware and Networking	300
14	Core JAVA	125
15	Dairy based ESDP	125
16	Die Fitter	125
17	DTP	125

क्र.सं.	मॉड्यूल	कोर्स की अवधि
18	Digital Photography & Videography	125
19	Electronic Mechanic	125
20	ESDP on Hotel Management and Catering	600
21	EDP	72
22	Electrical gadget repair	125
23	Electroplating	125
24	Food Processing	125
25	Forging and Casting	125
26	fasion Designing	125
27	Hosiery & Woollen Garments	125
28	Housekeeping & Hospitality	125
29	IT Tools and Applications	125
30	Microsoft Certified Software Engineering	125
31	Mobile Repairing	125
32	Mushroom Cultivation	125
33	MS Office and Internet	125
34	Multimedia and Animation	125

ज्ञान दिगदर्शिका (नॉलेज गाइड)

35	Photography and Photoshop	125
36	PC Maintenance	125
37	Retail Management	125
38	Receptionist	125
39	Repair. And Maintenance of Power supply, Inverter and UPS	250
40	Repair and Maintenance of Washing Machine and Microwave Oven	250
41	Steel Fabrication	125
42	Tool and Die Making	125

43	Tour Operators	125
44	TOT in ESDP for Fashion Designing	125
45	Training of Trainers (TOT)	100
46	Wax Candle and Chalk Crayons	125
47	Web Designing	125
48	Welder	125
49	Women EDP	120
50	2 D	125
51	3 D	125

उक्त प्रशिक्षणों हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं:—

पता: सेक्टर : 4, डी. 98, डिफेंस कॉलोनी, देहरादून

फोन नं.: 0135-2666919, 2666980, ईमेल: roniesbud@gmail.com, dgniesbud@niesbud.gov.in

वेबसाईट: www.niesbud.org

उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद

योजना का विवरण	उद्देश्य	अनुमान्य सुविधाएं/अनुदान
हथकरघा (हैण्डलूम) से संबंधित		
1 महात्मा गांधी बुनकर योजना	हथकरघा बुनकरों को स्वाभाविक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में तथा दुर्घटना के कारण पूर्ण एवं आंशिक निःशक्तता के मामलों में बढ़ा हुआ बीमा कवर एवं उच्चतर बीमा राशि प्रदान करना।	<p>पात्रता— बुनकर हथकरघा बुनाई से अपनी आय का कम से कम 50% अर्जित करता हो। 18 से 59 वर्ष के आयुवर्ग के बीच के सभी बुनकर।</p> <p>लाभ स्वाभाविक मृत्यु पर 60,000/- रुपये दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 1,50,000/- रुपये पूर्ण निःशक्तता पर 1,50,000/- रुपये आंशिक निःशक्तता पर 75,000/- रुपये</p> <p>प्रीमियम— 330 रुपये प्रति सदस्य की वार्षिक प्रीमियम निम्नवत् भारत सरकार का अंशदान— 150 रुपये बुनकरों का अंशदान— 80 रुपये भारतीय जीवन बीमा निगम का अंशदान— 100 रुपये</p>
2 मेगा हैण्डलूम क्लस्टर विकास योजना	विशिष्ट उत्पादों के अनुरूप क्लस्टर का चयन कर बुनकरों को ढांचागत सुविधाएं, तकनीकी में सुधार, बुनाईशाला, क्षमता विकास, डिजाईन इनपुट, स्वास्थ्य सुविधाएं, आदि उपलब्ध कराना	<p>मेगा हैण्डलूम क्लस्टर में निम्न घटकों के अन्तर्गत कार्य किया जाता है— डिजाईन विकास एवं उत्पादों की विविधता तकनीकी का उच्चीकरण मार्केट विकास कच्चे माल हेतु कॉरपस निर्यात बेसिक एवं तकनीकी ढांचागत विकास प्रचार-प्रसार कौशल विकास वैल्यू एडिशन (कपड़ा व परिधान यूनिट आदि) रेशमकीट हेतु भोज्य पौधों का पौधारोपण नवाचार प्रचार-प्रसार, अनुश्रवण, निरीक्षण, शोध व सेमिनार, सूचना प्रसारण, प्रशिक्षण, अध्ययन, IT आधारित अनुश्रवण तंत्र एवं</p>

		<p>मूल्यांकन योजना परियोजना प्रबंधन लागत बुनकरों को संगठित करना— संघ/SPV को गठन</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagnostic Study and formulation of Detailed Project Report (DPR) • Credit for working capital 														
4 प्रधानमंत्री रोजगार अर्जन (generation) कार्यक्रम	<p>नये स्वयं के रोजगार ventures/प्रोजेक्ट/सूक्ष्म उद्यम के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना। परम्परागत कारीगरों/बेरोजगार युवाओं को संगठित करना तथा उनके स्थान पर स्वरोजगार के अवसर एवं उन्हें बढ़ाने की सम्भावनाएं उपलब्ध कराना। पारम्परिक एवं कारीगरों के परिदृश्य में उन्हें निरन्तर एवं टिकाऊ रोजगार उपलब्ध कराना।</p>	<p>पात्रता— 18 या 18 से अधिक आयुवर्ग का कोई भी व्यक्ति। कम से कम आठवीं पास। निर्माण/उत्पादन के प्रोजेक्ट की लागत 10 लाख से ऊपर तथा व्यापार/सेवाओं के प्रोजेक्ट की लागत 5 लाख से ऊपर हो। बी.पी.एल. के स्वयं सहायता समूह, जिन्हें किसी योजना से लाभ न मिला हो। 1860 अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थान, को-ऑपरेटिव सोसायटी एवं चेरीटेबल ट्रस्ट।</p> <p>लाभ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">लाभार्थी अंशदान (प्रोजेक्ट लागत का)</th> <th colspan="2">आर्थिक सहायता (प्रोजेक्ट लागत का)</th> </tr> <tr> <th>ग्रामीण</th> <th>शहरी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सामान्य श्रेणी</td> <td>10%</td> <td>25%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ.बी.सी./माइनोरिटी/महिला, सेवानिवृत्त व्यक्ति, विकलांग आदि</td> <td>05%</td> <td>35%</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>		लाभार्थी अंशदान (प्रोजेक्ट लागत का)	आर्थिक सहायता (प्रोजेक्ट लागत का)		ग्रामीण	शहरी	सामान्य श्रेणी	10%	25%	15%	अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ.बी.सी./माइनोरिटी/महिला, सेवानिवृत्त व्यक्ति, विकलांग आदि	05%	35%	25%
	लाभार्थी अंशदान (प्रोजेक्ट लागत का)	आर्थिक सहायता (प्रोजेक्ट लागत का)														
		ग्रामीण	शहरी													
सामान्य श्रेणी	10%	25%	15%													
अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ.बी.सी./माइनोरिटी/महिला, सेवानिवृत्त व्यक्ति, विकलांग आदि	05%	35%	25%													
<p>5 धागा आपूर्ति योजना</p> <ul style="list-style-type: none"> • मिल गेट मूल्य के धागा की आपूर्ति • सूती लच्छा धागा, घरेलू सिल्क एवं ऊन की 10% अनुदान पर आपूर्ति 	<p>राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (NHDC) के माध्यम से— हथकरघा बुनकरों को प्राईमरी कच्चे माल की निरन्तर आपूर्ति को सुगम बनाना तथा इस सेक्टर में रोजगार की सम्भावनाओं को सहयोग करना।</p>	<p>पात्रता— समस्त राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्रीय/प्राईमरी हथकरघा स्तर के संस्थान (बुनकर कोऑपरेटिव सहित), हथकरघा विकास केन्द्र, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह (JLG), व्यक्ति बुनकर व बुनकर उद्यमी आदि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (NHDC) मांग के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय करता है।</p>														

हस्तशिल्प (हैण्डीक्राफ्ट) से संबंधित		
1 उत्तराखण्ड शिल्प रत्न पुरस्कार योजना (प्रतिवर्ष 25 शिल्पियों को)	शिल्प कला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु परम्परिक कला, संस्कृति की परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखना व शिल्पियों की कल्पनाशीलता/योग्यता/कारीगरी को प्रोत्साहित करना एवं शिल्पियों को समुचित सम्मान देना।	पात्रता — राज्य का निवासी हो। परम्परागत शिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया हो। आयु 45 वर्ष कम न हो। लाभ रूपये एक लाख की राशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र।
2 डिजाईन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना	कारीगरों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं उत्पादों के बेहतर विपणन में सुधार लाने हेतु कारीगरों को कौशल विकास सहित डिजाईन एवं प्रौद्योगिकी संबंधी इनपुट उपलब्ध कराना।	स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन
डिजाईन एवं प्रौद्योगिकी विकास		डिजाईन एवं प्रौद्योगिकी विकास हेतु 125 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम।
औजारों, सुरक्षा उपकरणों आदि की आपूर्ति		औजारों, सुरक्षा उपकरणों आदि की आपूर्ति हेतु सहायता।
शिल्प गुरु पुरस्कार योजना	हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट शिल्पियों को पहचान प्रदान करना सिद्धहस्त शिल्पियों को शिल्पकला में उत्कृष्टता बनाए रखने तथा परम्परागत विरासत को जीवित रखना।	शिल्प गुरु के लिए स्वर्ण मेडल, 2 लाख रूपये एवं ताम्र पत्र पुरस्कृत शिल्प गुरु की श्रेष्ठकृति की दो प्रतिकृति बनाने हेतु 100% अनुदान के रूप में 2 लाख रूपये तक की सहायता
राष्ट्रीय पुरस्कार योजना		राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत के लिए 1 लाख रूपये एवं ताम्र पत्र शिल्प गुरु व राष्ट्रीय पुरस्कृतों को प्रतिवर्ष 20 हजार रूपये की रेलयात्रा सहायता।
राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र		राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र के लिए 75 हजार रूपये
मानव संसाधन विकास योजना		
प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण	एक संस्थागत फ्रेमवर्क का सृजन करते हुए सतत एवं धारणीय ढंग से हस्तशिल्प की विभिन्न विधाओं में कौशल प्रदान/कौशल को उन्नत करना।	प्रत्येक प्रतिभागी न्यूनतम 144 घंटे व अधिकतम 600 घंटे की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।
हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम	उत्पादन आधार को बढ़ाने के लिए हार्ड एवं सॉफ्ट कौशल में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	प्रत्येक प्रतिभागी न्यूनतम 144 घंटे व अधिकतम 600 घंटे की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।

<p>गुरु शिष्य परम्परा के माध्यम से प्रशिक्षण</p>	<p>शिल्पकला जीवित रहे, इस हेतु सिद्धहस्तशिल्पी से नई पीढ़ी को परम्परागत ज्ञान सौंपने/ हस्तांतरित करने की व्यवस्था। उत्पादों की गुणवत्ता के मूल्यवर्धन और कारीगरों को फिनिशिंग संबंधी तकनीकों को सिखाने तथा उन्नत औजारों एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग करने से प्राप्त नवीनीकृत तकनीकों के एक्सपोजर में भी सहायता प्रदान करना</p>	<p>कार्यक्रम न्यूनतम 2 माह और अधिकतम 6 माह की अवधि का होता है। शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र, राज्य पुरस्कार विजेता और सिद्धहस्त शिल्पी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।</p>
<p>प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण</p>	<p>इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत सिद्धहस्त शिल्पियों को नवीन विकासों से संबंधी जानकारी प्रदान करना जैसे- नये डिजाइन, उन्नत औजारों के प्रयोग, नई उत्पादन तकनीकों, नई प्रौद्योगिकियों, उत्पाद प्रबंधन एवं कॉस्टिंग, आर्थिक एवं वाणिज्यिक सूचना, पैकेजिंग आदि</p>	<p>कार्यक्रम न्यूनतम 4 से 8 सप्ताह एवं 144 से 600 घंटे का होता है।</p>
<p>डिजाइन परामर्शदाता तथा प्रशिक्षु कार्यक्रम</p>	<p>ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर./केन्द्रीय/राज्य सरकार और अन्य ऐसे संबद्ध निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थानों, मान्यता प्राप्त ललित कला विद्यालयों और अन्य उत्कृष्ट डिजाइन संस्थानों के अंतिम वर्ष/स्नातक/स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को मेंटॉरशिप और ज्ञान प्रदान करना।</p>	<p>कार्यक्रम 6 माह का होता है।</p>
<p>ढांचागत एवं प्रौद्योगिकी विकास</p>	<p>हस्तशिल्प उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश में विश्व स्तरीय ढांचागत विकास करना एवं उत्पाद गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ-साथ लागत को कम करना है।</p>	<p>शहरी हाट की स्थापना लघु शहरी हाट की स्थापना एम्पोरिया की स्थापना गैर महानगरों में विपणन एवं सोर्सिंग हब्स की स्थापना। डिजाइन एवं शिल्प विद्यालय की स्थापना हस्तशिल्प संग्रहालय की स्थापना डिजाइन बैंक की स्थापना शिल्प आधारित संसाधन केन्द्र की स्थापना सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, कच्चे माल डिपो की स्थापना निर्यातकों/उद्यमियों को प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता</p>

		परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना शिल्प ग्राम की स्थापना एकीकृत हस्तशिल्प पार्क की स्थापना
हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना	राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना— कारीगर समुदाय को देश में उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बनाने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम करना	वित्तीय सहायता— भारत सरकार का हिस्सा—कुल प्रीमियम का 75% राज्यों का हिस्सा— कुल प्रीमियम का 25% कारीगर का हिस्सा— पंजीकरण हेतु ₹30,000 /— लाभ प्रति परिवार वार्षिक सीमा (1+4 स्वयं, पति/पत्नी एवं तीन आश्रित परिवार के सदस्य) आई.पी.डी. ₹30,000 /— ओ.पी.डी. ₹7,500 /—
हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना	हस्तशिल्प कारीगरों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना।	पात्रता— 18 से 59 वर्ष की आयु एवं गरीबी रेखा से नीचे तथा आंशिक रूप से ऊपर शिल्पी वित्तीय सहायता— भारत सरकार का हिस्सा — ₹290 कारीगर का हिस्सा — ₹80 जीवन बीमा का हिस्सा — ₹100
दरिद्र परिस्थितियों में कारीगरों को सहायता	वृद्धावस्था में कारीगरों की सहायता हेतु	पात्रता— सिद्धहस्त शिल्पी जो हस्तशिल्प में शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र, राज्य द्वारा पुरस्कृत हों कारीगर की वार्षिक आय ₹30 हजार से अधिक न हो। किसी अन्य स्रोत से समान वित्तीय सहायता प्राप्त न की हो। आवेदन की तिथि पर 60 वर्ष की आयु से कम न हो। विकलांगता के संदर्भ में आयु में छूट प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता— मासिक भत्ते या एक मुश्त राशि या दोनों रूप में सहायता दी जाती है। अधिकतम 2 हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता।

<p>क्रेडिट गारंटी स्कीम</p>	<p>थर्ड पार्टी गारंटी की समस्या और हस्तशिल्प क्षेत्र में ऋण प्रवाह में आ रही बाधाओं को दूर करना।</p>	<p>पात्रता— हस्तशिल्प क्षेत्र में निर्माणकारी क्रियाकलापों से जुड़े हस्तशिल्प कारीगरों/उत्पादकों/स्वावलंबन समूहों को क्रेडिट गारंटी योजना का लाभ। वित्तीय सहायता यह गारंटी कवर सभी ऋणद संस्थानों, के जो सी.जी.एस.एम ई. के सदस्ये को प्रदान किया जाता है।</p>
<p>ब्याज अनुदान योजना</p>	<p>अनुसूचित बैंकों के लिए ब्याज अनुदान शुरू करने के माध्यम से हस्तशिल्प कारीगरों को ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।</p>	<p>पात्रता— विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के साथ पंजीकृत हस्तशिल्प कारीगर वित्तीय सहायता कारीगरों को 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।</p>
<p>बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना</p>	<p>भाग-1 सामाजिक इंटरवेंशंस और विस्तारण कारीगरों को स्वावलंबन समूहों के रूप में संगठित करना। उत्पादक कम्पनी/फैडरेशन तथा अन्य निकायों का गठन करना क्लस्टर विकास, सुदृढ़ीकरण एवं समवर्ती मूल्यांकन का कार्य</p>	<p>भाग-2 व्यापक विकास सहायता विपणन सहायता एवं सेवाएं योजना मानव संसाधन विकास योजना डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना अनुसंधान एवं विकास योजना इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रौद्योगिकी विकास योजना</p>
<p>विपणन सहायता एवं सेवाएं योजना</p>	<p>भारत एवं विदेशों में हस्तनिर्मित कालीनों सहित हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देना।</p>	<p>हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विपणन हेतु महत्वपूर्ण मेलों/त्यौहारों/विशिष्ट शहरों/ऐतिहासिक स्थानों/पर्यटक स्थलों आदि को ध्यान में रखते गांधी शिल्प बाजारों, प्रदर्शनी, अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में स्टॉल किराये पर लेकर कारीगरों को उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेलों आदि का आयोजन करना आदि। विदेशों में विपणन कार्यक्रमों (अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों) में भाग लेने हेतु सहायता प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय हस्तशिल्प की ब्रांड इमेज को सृजित करने तथा उत्पाद सृजन एवं संवर्धन के लिए भारत</p>

		एवं विदेशों में भारत के लोक शिल्प त्यौहार/रोड शो/कैटालॉग शो/थिमेटिक प्रदर्शनियों/स्टैंड अलोन शो/विशेष समारोह कार्यक्रमों का आयोजन। विदेशों में बाजार अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय शिल्प प्रदर्शन/प्रशिक्षण/एक्सपोजर/सेमिनार का आयोजन क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन प्रचार-प्रसार सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन
--	--	--

उक्त प्रशिक्षणों हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं:-

- जिला उद्योग केन्द्र, पटेल नगर, देहरादून 0135-2724903
जिला उद्योग केन्द्र, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल 01378-227297
जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरकाशी 01374-222744
जिला उद्योग केन्द्र, गोपेश्वर, चमोली 01372-252126
जिला उद्योग केन्द्र, रुद्रप्रयाग 01364-233119
जिला उद्योग केन्द्र, इंडस्ट्रियल एस्टेट, सिताबपुर, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल 01382.222266
जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा 5962-230177
जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर 5963-221476
जिला उद्योग केन्द्र, पिथौरागढ़ 5964-223574

**उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद
उद्योग निदेशालय**

इंडस्ट्रियल एरिया, पटेलनगर, देहरादून 0135-2728272, 2728227,
ईमेल: uhhdc-ua@inc.in, uhhdc@uttarakhandcrafts.com वेबसाईट: www.uttarakhandcrafts.com